कुरुक्षेत्र

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of I & B.
LIBRARY

16 OCT 195

सितम्बर
१९५७
●
भाद्र-आश्विन
१८७९
●
मूल्य
२५ नये पैसे

बौद्ध धर्म सम्बन्धी दो सुन्दर पुस्तकें

बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष

इस पुस्तक में गत ढाई हजार वर्षों में बौद्धमत की कहानी का संक्षिप्त लेखा है।

२५५ पृष्ठों की सचित्र पुस्तक का

मूल्य केवल ३·०० रु०

डाक व्यय ०·६२ नये पैसे

भारत के बौद्ध तीर्थ

भारत में बौद्ध तीर्थ व पवित्र स्थानों पर सचित्र पुस्तक। आकर्षक छपाई व सजधज।

१०८ पृष्ठों की इस सुन्दर पुस्तक का

मूल्य केवल २·०० रु०

डाक व्यय ०·७५ नये पैसे

मूल्य अग्रिम आना आवश्यक है। पोस्टल आर्डर भेजने से सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्य।

बिज़िनेस मैनेजर,

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, पो० बॉ० २०११, दिल्ली ८

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार 'योजना' नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों, बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नवनिर्माण का सन्देश पहुँचाना है और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। हमारी 'आपकी राय" विभाग में जनता की आवाज गूंज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति का दस नये पैसे और वार्षिक मूल्य २·५० रु०। अपने पुस्तक विक्रेता से माँगें या लिखें:—

योजना,

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, पो० बॉ० २०११, दिल्ली

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] सितम्बर १९५७ : भाद्र-आश्विन १८७९ [अंक ११

विषय-सूची

आवरण चित्र [फ़ोटो : मोतीराम जैन]

सामुदायिक विकास	जवाहरलाल नेहरू	२
विज्ञान संवाद	...	५
सहयोगियों की राय—		६
सामुदायिक विकास योजना	...	
सामुदायिक योजना	...	
सामूहिक योजनाएँ	...	
श्रम, जीवन और उल्लास [कविता]	कुन्तलकुमार जैन	९
दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा	सत्य	१०
काश्मीर में सामुदायिक विकास	प्राणनाथ सेठ	१२
राजस्थान में विकास-कार्यक्रम	...	१४
चित्रावली	...	१५-१८
बैतूल विकास खण्ड	रा० श्या० पारे	१९
हमारे लघु उद्योग	...	२२
विस्तार की परिभाषा	जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव	२४
मलेरिया से लड़ाई	...	२६
पौष्टिक भोजन	...	२८
प्रशिक्षण की व्यवस्था	...	२९
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]

उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिज़नेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीज़न,
दिल्ली—८ को लिखें।

सामुदायिक विकास

जवाहरलाल नेहरू

यह सोचना कि हमारे लक्ष्य बहुत ऊँचे हैं इसलिए उन्हें कुछ नीचे ले आया जाए, मुझे ठीक नहीं जँचता। यह बात अलग है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाए हों।

सामुदायिक-कार्यक्रम, विद्युत् शक्ति उत्पन्न करनेवाले एक यन्त्र के समान है। हमारी पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वे विशेष शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी हमें आशा है और विश्वास भी।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य औसत व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना था। भारत में इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना वास्तव में एक क्रान्तिकारी कदम ही था। इस सिलसिले में महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि किस प्रकार हम शान्तिपूर्ण और सहयोगात्मक ढंग से इस क्रान्ति को क्रियात्मक रूप देते हैं, क्योंकि हिंसात्मक ढंगों द्वारा क्रान्ति करने के लिए काफी कीमत अदा करनी पड़ती है और फिर उसका परिणाम क्या हो, यह भी कुछ निश्चित नहीं होता।

आज की इस गुटबन्दी के युग में, भारत अपनी निरपेक्ष नीति पर एक अटल चट्टान की भाँति दृढ़ है। लेकिन जब तक हम कठिन परिश्रम न करेंगे, यह दृढ़ता कायम न रह सकेगी। इसीलिए लोगों को चाहिए कि अपनी स्वतन्त्रता को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए आर्थिक विकास—जो कि आधारभूत और मूलभूत वस्तु है—में सम्मिलित प्रयास करें।

उपयुक्त साधनों के अभाव के कारण तथा कुछ परिस्थितियों-वश पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके, परन्तु जिस प्रकार इसके लिए प्रयत्न किए गए हैं, वे अवश्य ही सराहनीय हैं। जनता को सदैव यही प्रयास करना चाहिए कि वे आगे बढ़ें।

आज संसार की सब से बड़ी क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति है, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। नए आविष्कारों से, एक ओर तो जीवन की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, दूसरी ओर देशों के आर्थिक विकास में भी प्रगति हुई है। इसी प्रकार की क्रान्ति हमें अपने देश में भी लानी है। पंचवर्षीय योजना इसी औद्योगिक विकास की भूमिका है। इससे पहले कि देश में नए और भारी उद्योगों का जाल बिछाया जाए, हमें अपनी ग्रामीण जनता को इस योग्य बनाना है कि वह इन उद्योगों को आश्चर्य की दृष्टि से न देखे, अपितु उन्हें देश की समृद्धि का सूचक माने। सामुदायिक-कार्यक्रम, ग्रामीण लोगों को औद्योगीकरण के इस विश्वव्यापी आन्दोलन से भी परिचित कराएँगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भारत एक अत्यन्त नाजुक स्थिति में से गुजर रहा था, परन्तु बाद में जब देश से विदेशी राज्य समाप्त हो गया तो भी कुछ उसी प्रकार की नाजुक स्थिति बनी रही, क्योंकि रजवाड़ों के रूप में कुछ पुराने ढाँचों का अस्तित्व तो बना ही हुआ था। लेकिन शीघ्र ही यह ढाँचा गिर पड़ा और यह ढाँचा इतनी शीघ्रता से गिरा कि संसार भी इसे देख कर चकित रह गया। इन ढाँचों के इतनी शीघ्रता से गिरने का मुख्य कारण यह था कि इनका अब तक का बना हुआ अस्तित्व कृत्रिम था, उनकी अपनी शक्ति कुछ न थी, उनको सहारा देनेवाले कुछ स्तम्भ थे, जिनके हट जाने से ये ढाँचे अनायास भूमिसात् हो गए। देश से विदेशी राज्य समाप्त होने पर वे अनेक शक्तियाँ भी बन्धन-मुक्त हुईं जो पहले दबाई जा रही थीं। हमारा कर्तव्य है कि इन शक्तियों को अभिव्यक्ति दें। जनता को एक स्वतन्त्र देश के नागरिक के रूप में विकास-पथ पर अग्रसर करें।

हमें विकास के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित क्रान्ति लानी है। परन्तु क्रान्ति का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम एक दूसरे का सिर फोड़ना प्रारम्भ कर दें। इसका उद्देश्य एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिससे दृष्टिकोण में ही परिवर्तन लाया जा सके। परन्तु इतना हमें जरूर ध्यान रखना है कि इस क्रान्ति की गति इतनी तीव्र ही न हो कि इसका प्रारम्भ करते ही इसकी प्रतिक्रिया में दूसरी क्रान्ति प्रारम्भ हो जाए।

उपर्युक्त प्रसंग में आर्थिक समस्याओं का विशेष महत्व है। यह केवल इसलिए नहीं कि जीवन-स्तर के ऊँचे होने से एक

सुविधाजनक एवं उल्लासपूर्ण जीवन का आविर्भाव होगा बल्कि इसलिए भी कि किसी भी राष्ट्र की अन्ततोगत्वा शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति ही होती है। सैनिक शक्ति तो देश की कुल शक्ति का थोड़ा-सा अंश होती है। वास्तविक शक्ति तो उसके आर्थिक विकास और जनता के राष्ट्रीय चरित्र में निहित है।

देश के सम्पूर्ण विकास और प्रगति के लिए हमें पूरी जनता की ओर ध्यान देना है। दूर-दूर फैले हुए गाँवों के एक-एक निवासी में पूरी-पूरी दिलचस्पी लेनी है। उसे ऊपर उठाना है। हमारे लिए यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हमारे देश में भी इसी प्रकार की योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। सामुदायिक-कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवाएँ, जिन पर ग्रामीण विकास-कार्य का मुख्य दायित्व है, यह स्पष्ट कर सकेंगी कि किस प्रकार से सम्पूर्ण विकास की प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया सफल हो सकती है। मैंने अक्सर कहा है, और अनेक बार अपनी इसी बात पर जोर दिया है कि पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में भाग लेने के नाते अपने ग्रामीण भाइयों को यह अवश्य अनुभव कराना है कि इसमें उनका भी सहयोग है। भारत की पंचवर्षीय योजना लोगों की अपनी योजना है और उसे क्रियान्वित करते हुए लोगों में यह भावना अवश्य उत्पन्न करनी है कि भारत का प्रत्येक स्त्री-पुरुष एवं बालक इस 'इण्डिया लिमिटेड' का साझेदार है और सब को मिल कर एक नए भारत का निर्माण करना है। पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ पक्षों—विशेष रूप से सामुदायिक योजनाओं के प्रति लोगों ने जो उत्साह दिखाया है—वह प्रशंसनीय है। इसे देख कर खुशी होती है और बल मिलता है। ऐसा होना जरूरी भी है। यह हमें अवश्य याद रखना है, क्योंकि कोई भी प्रजातन्त्र राज्य केवल सरकार के सहारे कार्य नहीं कर सकता। उसे जनता के विश्वास और समर्थन की सबसे पहले आवश्यकता होती है।

मैं स्वयं यह सोचता हूँ कि सामुदायिक योजनाओं का अपना बहुत बड़ा महत्व है, पर यह महत्व केवल इसीलिए नहीं कि हमने जितने अतिरिक्त स्कूल, औषधालय और मकान बनवाए हैं, या जितना अतिरिक्त अन्न उगाया है या जो नई सड़कें बनवाई हैं या जो नए कुएँ और तालाब खुदवाए हैं, उन सब की संख्या लिख कर हम एक लम्बी सूची बना सकते हैं, पर मेरी दृष्टि में इसका महत्व अत्यन्त दूरव्यापी है।

मकान और उसमें रहनेवाले, चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, परन्तु विशेष महत्व तो मकान बनानेवाले का होता है। इसलिए निर्माण करनेवाले की ओर मेरा ध्यान अधिक जाता है। हम भारत के सब लोगों को निर्माता के रूप में देखना चाहते हैं। मुझे सामुदायिक-योजनाओं का महत्व केवल इसी लिए ही विशेष रूप से आकर्षित नहीं करता कि उनके द्वारा हम भौतिक सुख-साधन एवं सामग्री तैयार कर सकते हैं, बल्कि इसीलिए कि इनके द्वारा समुदाय और एक इकाई का निर्माण किया जाएगा और यही मानव इकाई अपने ग्रामीण केन्द्र और अन्य बड़ी इकाइयों का तथा अन्त में सम्पूर्ण भारत का निर्माण कर सकेगी। मेरे विचार में भारत के पुनर्निर्माण के इस बड़े काम का दायित्व हमें केवल कुछ किताबों, नक्शों, आँकड़ों और सुझावों की सहायता से ही नहीं पूरा करना, अपितु इसके लिए हमें अपने अन्दर ही उत्साह एवं ओज की वह भावना उत्पन्न करनी है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र प्रगति और विकास की ओर बढ़ने के लिए बल प्राप्त करता है।

तो क्या हम सामुदायिक योजनाओं को भी इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, पर नहीं, शायद मैं इसे कुछ अधिक महत्व दे रहा हूँ और किसी चीज को इतना अधिक महत्व देना ठीक भी नहीं होता, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो सम्भव है आप ऐसा आचरण करने लगें, जो हमें विपरीत दिशा में ले जाए।

मैं सोचता हूँ शायद ही कोई अन्य ऐसा देश हो—हालाँकि मेरा अभिप्राय किसी देश का अपमान करने से नहीं है—जिसके आदर्श भारतीय आदर्शों के समान ऊँचे हों। और इसके साथ मैं इतना और भी अवश्य कह दूँ कि शायद ही कोई ऐसा अन्य देश भी हो, जहाँ सिद्धान्त और क्रिया में इतना अधिक अन्तर पाया जाए, जितना कि हमारे देश में पाया जाता है। मुझे लगता है कि बातें बहुत बड़ी-बड़ी करना और फिर भी अपने किसी उद्देश्य के निकट न पहुँचना कुछ खतरनाक बात होती है। यह सोचना कि हमारे लक्ष्य बहुत ऊँचे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नीचे ले आएँ, यह मुझे कुछ ठीक नहीं जँचता। यह अलग बात है कि प्रयत्न करने पर भी आप अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाए हों। आज हमारे सामने यही समस्या है कि किस प्रकार हम सामुदायिक विकास-योजनाओं को एक सरकारी कागज़ी कार्रवाई नहीं, अपितु सभी स्त्री-पुरुषों के काम की वस्तु बनाएँ।

अपनी योजनाओं के लिए हमें कितनी अर्थ-व्यवस्था करनी है, इसका हम ठीक-ठीक जायज़ा लेते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हम किसी तरह से भी किसी गैर-जिम्मेदार ढंग से काम नहीं कर सकते। परन्तु फिर भी ये बातें एक गौण विषय हैं, मुख्य तो हमारे लिए व्यक्ति है, जिसे कि कार्य करना है और जिसे इस भावना को कार्य रूप देना है। क्या आप सचमुच ऐसे आदमी का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं? और व्यक्ति तो आज भी आपके सामने है, आप को तो केवल उसके दिल

और दिमाग के नजदीक पहुँचना है और आप ऐसा कर भी सकते हैं लेकिन केवल सुझाव दे कर नहीं। एक बात हमेशा याद रखने की है, और वह यह कि हम अधिक सुझाव ही न देते जाएँ, काम को स्वयं करें भी। यही एक ऐसा सुझाव है जिसे आप दूसरों को दे सकते हैं। काम को स्वयं करिए। दूसरे आप के नक्शे-कदम पर चलेंगे। सहयोग और कार्य करने की भावना से ही हम सामुदायिक योजनाओं को सफल बना सकेंगे। सामुदायिक-कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने से हम केवल थोड़े से सामुदायिक केन्द्रों से ही सम्बन्धित नहीं हो जाते, बल्कि हमें तो पूरी भारतीय जनता के बड़े समुदाय के लिए कार्य करना है, विशेष रूप से उनके लिए जो कि पिछड़े हुए हैं, और उपेक्षित वर्ग से सम्बन्धित है। वास्तव में देखा जाए तो आप में से कोई भी यह बहुत अच्छी तरह से कह सकता है कि ९६ प्रतिशत भारतीय जनता आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है और यह सच भी है क्योंकि केवल थोड़े से लोगों को छोड़ कर अधिकांश लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें उन लोगों की ओर अधिक ध्यान देना है, जो कि अधिक पिछड़े हुए है, क्योंकि समान सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हमें समान स्तर का निर्माण करना है। यद्यपि हम सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं बना सकते हैं, पर उन्हें समान सुविधाएँ अवश्य प्रदान कर सकते हैं। छोटे और बड़े का भेद हमारे समाज में बहुत लम्बे अरसे से चला आ रहा है। इसी भेद-भाव को हमें मिटाना है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि सामुदायिक केन्द्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नत करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होंगे।

हमारा देश बहुत बड़ा है, यह फायदे की भी बात है और नुकसान की भी। फायदा इसलिए है कि बड़े देश में ही बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं। और नुकसान इसलिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भली प्रकार से नियन्त्रित करना तथा उसकी सम्पूर्ण शक्तियों को एक दिशा की ओर केन्द्रित करना अपेक्षाकृत आसान नहीं होता। जब तक हम इन आवश्यक तथ्यों को स्वीकार न कर लेंगे, तब तक यह काम सम्भालना कठिन हो जाएगा।

हमें अपने देश के लोगों की निर्धनता को समाप्त करना है तथा उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना है। केवल थोड़े से लोगों को उन्नत कर देना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि देखना तो यह है कि भारत के ३६ करोड़ लोग किस तरह तरक्की कर सकते हैं। केवल विधान पास करने से ऐसी चीजें प्राप्त नहीं की जा सकतीं। कानून ज्यादा से ज्यादा आपका रास्ता साफ कर सकता है। काम तो लोगों को करना है। लोगों से काम कराने के लिए हमें उनका हौसला बढ़ाना है, उनके अन्दर देशप्रेम की लगन पैदा करनी है। अपने भविष्य का उनके सामने पूरा उज्ज्वल चित्र खींचना है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे उसका पथ-प्रदर्शन कर सकें। सामुदायिक योजनाएँ आपने प्रारम्भ की हैं, उनमें हजारों व्यक्ति काम कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए, इन्सान की जिन्दगी को और खुशहाल बनाने के लिए। उनका यह कार्य समाज-सेवा है। हम सबका यह कर्तव्य है कि इन कार्यकर्त्ताओं के मन में हम यह भावना उत्पन्न करें कि जो कार्य वे कर रहे हैं, चूँकि वे राष्ट्र के हित में हैं, इसलिए उनके लिए वह गौरव का विषय है। उन्हें यह समझाना है कि हमारा काम बहुत बड़ा है। जितना बड़ा यह काम होगा, उसके साथ दायित्व भी उतने बड़े होते जाएँगे। और काम तो हमारा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश के काफी बड़े भाग में यह काम फैल चुका है और आशा है कि आनेवाले कुछ वर्षों में तो यह प्रत्येक ग्राम तक पहुँच जाएगा। सच पूछा जाए, तो कार्य का विस्तार कितना हो, यह बहुत मामूली बात है, कार्य का स्तर क्या है, और कितनी भावना से किया जाता है, असल बात तो यह है।

अपने कार्य की इस मंजिल की ओर बढ़ते हुए हमें उल्टे कदम पीछे नहीं लौटना है, बल्कि आगे बढ़ना है। यदि हम पीछे लौटेंगे तो मंजिल से बहुत दूर रह जाएँगे और शायद वहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकेंगे। खण्ड, ग्राम, शहर, जिला, राज्य, आप चाहे जहाँ भी कार्य करें, पर आपको यह जरूर सोच लेना है कि आप एक बहुत बड़े कार्य के ही एक भाग को पूरा करने में लगे हुए हैं।

सामुदायिक योजनाएँ विभिन्न गतिविधियों के समन्वय की भूमिका हैं। उनको हम बिलकुल असम्बन्धित और अलग गतिविधियाँ नहीं मान सकते। इन योजनाओं का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को सुधारना है, इसलिए इस दिशा की ओर किए जाने वाले सब प्रयत्नों के साथ सामुदायिक योजनाओं की गतिविधियों का समन्वय होना आवश्यक है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक का जब मैं दौरा करता हूँ, और नई फैक्ट्रियों, नए कारखानों और बड़ी-बड़ी नहरी योजनाओं का विकास होते हुए देखता हूँ, तो मेरा मन खुशी से नाच उठता है और मस्तक गर्व से ऊँचा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की प्रगति एवं विस्तार होना इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने समय की यह एक बहुत बड़ी घटना है।

ग्रामीण भारत का नक्शा बदलने की सामर्थ्य कुछ कारखानों में नहीं, बल्कि इन सामुदायिक योजनाओं में ही है। मेरा मन एक नए उल्लास और उत्साह से भर जाता है जब

मैं अपने ग्रामीण भारत में इस प्रकार की क्रान्ति होते हुए देखता हूँ। नई योजनाएँ मुझे विकास मन्दिर लगती हैं। मेरे लिए तो ये पूजा के स्थल हैं।

इन महान् विकास कार्यों के लिए हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। जितने अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे पास होंगे, उतनी ही शीघ्रता से हम अपनी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगे। सामुदायिक योजनाओं के लिए अनेक प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिएँ, वैसे आजकल भी हमारे पास योजना कार्यों में कुछ ऊँचे पदों पर बहुत अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति, ओवरसियर और ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे सामने यह समस्या विशेष रूप से विचारणीय है कि जिस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों और विश्वविद्यालयों में तैयार किए जाते हैं, क्या वैसे ही व्यक्तियों की हमें अपेक्षा है? यद्यपि इंजीनियरों, ओवरसियरों, ग्रामीण कार्यकर्ताओं और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए हम अनेक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं, फिर भी उक्त प्रश्न ज्यों का त्यों हमारे सामने है। इसलिए अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति हमें चाहिएँ, उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम धन के अभाव में भले ही बन्द न हो, परन्तु प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव में जरूर बन्द हो सकता है। अपने सामने आई हुई इस समस्या को हमें जल्दी ही हल करना है। कुछ गाँवों मे मैंने ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं को बहुत बढ़िया काम करते हुए देखा है और इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत सहृदय, उत्साही, अनुशासनप्रिय और कर्मठ हैं।

हमारे लिए आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन विकास योजनाओं ने भारत के ग्रामीण लोगों में जो नया जीवन फूँका है, उससे क्या नई चीजें हमारे सामने आती हैं, यह हमें अभी देखना है। [समाज कल्याण के सौजन्य से]

विज्ञान संवाद

फलों की डिब्बाबन्दी

कलकत्ता के इंजीनियरी तथा शिल्प विज्ञान कालेज ने एक गवेषणा योजना के अन्तर्गत आमों की डिब्बाबन्दी का अध्ययन किया है। इस योजना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद आर्थिक सहायता दे रही है।

आम की तीन मुख्य किस्मों—फजली, लंगड़ा और हिमसागर—में हिमसागर डिब्बाबन्दी के के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ है। यदि इसे कमरे के तापमान पर छ: महीने तक डिब्बे में बन्द रखा जाए, तब भी उसके रंग और स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि डिब्बे में ५० प्रतिशत शीरा डाल दिया जाए, तो यह आम और भी अधिक समय तक टिक सकते हैं।

दूसरी योजना में फल संरक्षण के विकास का काफी बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें फल और सब्जी के संरक्षण पर गवेषणा करने के लिए क्षेत्रीय गवेषणाशालाएँ खोलना और फलों को डिब्बों में बन्द करने के छोटे-छोटे अनेक कारखाने खोलना भी शामिल है।

भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में २०० फल संरक्षण कारखानों के लिए २० लाख रुपए ऋण देने की व्यवस्था की है। फलों और सब्जी के ५ मुख्य क्षेत्रों में फल संरक्षण के बड़े-बड़े केन्द्र खोलने के लिए भी ३५ लाख रुपए दिए जाएँगे। वे क्षेत्र हैं—कुलू घाटी (पंजाब), कुर्ग (मैसूर) उत्तरी प० बंगाल, बिहार, पश्चिम उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश।

बेकार वस्तुओं से गत्ते

देहरादून की वन गवेषणाशाल फसल की बेकार वस्तुओं को काम में लाने के लिए खोज कर रही है। गवेषणाशाला ने पटसन, अनाज और अलसी के डण्ठल, फलों के कड़े छिलके और रद्दी चायपत्तियों से गत्ते तथा अन्य वस्तुएँ बनाने का तरीका निकाला है।

गत्ते बनाने का तरीका बहुत सरल है। इन चीज़ों को महीन पीस कर उसमें आर्गनिक एसिड, लाइम, कार्बोनेट आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं और फिर काफी अधिक तापमान पर मशीन से दबाया जाता है।

ये गत्ते बहुत अच्छी किस्म के होते हैं। ये पर्दे, छतें, अलमारियाँ, मेजें आदि बनाने के काम आ सकते हैं।

सहयोगियों की राय

सामुदायिक विकास-योजना

लोकसभा में सामुदायिक विकास योजना प्रशासन के अनुदानों पर बहस के अवसर पर इस विभाग के कार्य की कटु आलोचना की गई है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सामुदायिक विकास-योजना के लिए जितना उत्साह शुरू में था, उतना अब नहीं रह गया। इस योजना की रूपरेखा अमरीकी आधार पर बनी है और कतिपय क्षेत्रों में हमने इस योजना को ऐसा रूप दे डाला है, जो भारत की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के ७ लाख गाँव राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के शब्दों में "७ लाख प्रजातन्त्र" बन सकते और देहातों की जनता में स्वावलम्बन की भावना का विकास हो सकता। परन्तु योजना जिस प्रकार कार्यान्वित की गई, उससे ग्राम्य जनता में उत्साह का संचार नहीं हो सका। योजना के जिस एक पहलू की लोकसभा में सबसे अधिक आलोचना की गई, वह उस पर किया जानेवाला खर्च है। सामुदायिक विकास-योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में होनेवाले कार्य के सम्बन्ध में सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जितना अधिक धन खर्च किया गया है, उतना किसानों को लाभ नहीं पहुँचा है। दूसरी कमी यह है कि सामुदायिक विकास-योजना से जनता में स्वावलम्बन की जिस भावना को भरने की आशा की गई थी, उसे भरने में योजना बिलकुल असफल रही है। गाँववालों की एक आम शिकायत यह सुनाई देती है कि सुधार कार्य के लिए जितने धन की मंजूरी होती है, उसका पूरा भाग गाँववालों तक नहीं पहुँच पाता। सुधार कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा ग्रामीणों में भरने के स्थान पर अधिकारी वर्ग उसे ऊपर से लादने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों में कार्य के लिए सरकार का मुँह जोहने की आदत घटने के स्थान पर बढ़ गई है। सुझाव दिया गया है कि गाँवों की पंचायतों का सहयोग प्राप्त कर इस दोष को दूर किया जा सकता है। परन्तु पंचायतों की जो अवस्था अभी है, उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि वे अभी इस उत्तरदायित्व को सम्हालने की स्थिति में हैं।

सामुदायिक विकास मन्त्री श्री एस० के० दे ने लोक सभा में बहस का उत्तर देते हुए सामुदायिक विकास-योजना की उपर्युक्त कठिनाइयों को स्वीकार किया है और कहा है कि ग्रामीणों में शिक्षा का प्रचार होने से इन कठिनाइयों का निवारण होगा। आपने इस आरोप से इन्कार किया है कि सामुदायिक विकास-योजना तथा विस्तार खण्डों के क्षेत्र निर्धारित करने में पक्षपात किया जाता है। सच तो यह है कि सामुदायिक विकास-योजना की कार्यान्विति के क्षेत्र में हम अब एक ऐसी अवस्था को पहुँच गए हैं जब अब के कार्य के मूल्यांकन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। इस क्षेत्र की कठिनाइयों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहला वर्ग उन कठिनाइयों का है जो सामुदायिक विकास योजना की रूपरेखा में दिखाई दी हैं और जिनमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। दूसरा वर्ग उन कठिनाइयों का है जिनका सामना सरकारी यन्त्र के दोष के कारण करना पड़ता है। तीसरे वर्ग में उन कठिनाइयों को रखा जा सकता है जो ग्राम्य जनता के अशिक्षित होने के कारण सामने आती हैं। कठिनाइयों की इस पृष्ठभूमि में श्री दे की इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं कि भारत सरकार सामुदायिक विकास-योजना से से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए दिल्ली में एक अनुसन्धान केन्द्र खोलने जा रही है। हमें आशा करनी चाहिए कि इस इस केन्द्र में सामुदायिक विकास से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं पर व्यावहारिक पृष्ठभूमि में विचार होगा और उपर्युक्त कठिनाइयों के निवारण के उपाय खोजे जाएँगे।

परन्तु जब तक सामुदायिक विकास-योजना से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विस्तार से विचार होता है, तब तक क्या सामुदायिक विकास प्रशासन सरकारी यन्त्र के दोषों पर विभागीय रूप से विचार नहीं कर सकता? सामुदायिक विकास विभाग के मन्त्री वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व भारत सरकार के एक योग्य अधिकारी रहे हैं और सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का शुरू से अनुभव उन्हें रहा है। इसलिए कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखाई देनेवाले प्रशासनीय दोषों का मूल्यांकन करने तथा इनके निवारण के उपाय सुझाने के लिए उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति मिलना कठिन है। सबसे पहली शिकायत यह है कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सिलसिले में जो अधिकारी रखे जाते हैं, वे अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते। दूसरी शिकायत यह है कि ये अधिकारी दिन-भर कागज़ात में उलझे रहते हैं और ग्राम्य जनता से सम्पर्क स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते। तीसरी शिकायत अपव्यय तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी है। हमारे विचार में सरकार को इस शिकायत को दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठाना चाहिए। यदि सामुदायिक विकास-योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में अपव्यय होता है अथवा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, तो ग्रामीणों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इन दोषों के परिणामस्वरूप ग्राम्य जनता में विकास-कार्यक्रम के प्रति रहा-सहा उत्साह भी जाता रहता है। श्री दे को शिकायत है कि उनके विभाग को ग्राम्य जनता का सहयोग आशा के अनुरूप नहीं मिल सका। परन्तु प्रश्न यह है कि जिन परिस्थितियों में सामुदायिक

विकास-कार्यक्रम चलता रहा है, क्या उनकी पृष्ठभूमि में इससे अधिक सहयोग की आशा की जानी चाहिए थी? ग्राम्य जनता अशिक्षित है। वह साधनहीन है। उसे लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस पृष्ठभूमि में सरकार की जिम्मेदारी अधिक है और उससे वह किसी प्रकार मुँह नहीं मोड़ सकती।

प्रदीप (पटना)
१-८-५७

★

सामुदायिक योजना

सामुदायिक योजना के अनुदान के सम्बन्ध में लोकसभा में जो बहस हुई, वह सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती। गाँवों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक योजना के अन्तर्गत भारत में अपने ढँग से जो प्रयास किया जा रहा है, वह चाहे जितना भी स्तुत्य हो, आलोचना से परे नहीं। यह सत्य है कि इस योजना से गाँवों को काफी लाभ पहुँचा है और पहुँच रहा है। यह भी सत्य है कि स्वावलम्बन की भावना भी इसके फल-स्वरूप विकसित हुई है। इससे उत्साहित हो कर ग्रामीणों ने अपने श्रम से करोड़ों रुपयों का काम किया, सन्देह इसमें भी नहीं है। विदेशों में इस योजना की काफी प्रशंसा हुई है और दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने इसे बहुत पसन्द किया है, इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता। सामुदायिक योजना का औचित्य सिद्ध करने और उसे लाभकारी बताने के लिए इतनी बातें पर्याप्त हैं। इतने से ही सन्तोष लाभ हो जाए तो कोई बात नहीं है। किन्तु यह सन्तोष असामयिक होगा। ऐसा सन्तोष अन्ततः दुख और पश्चाताप का कारण बनता है, यह हमें भूलना न चाहिए।

सफलता से हम उत्साहित हों, प्रेरणा ग्रहण करें, यह उचित ही है। लेकिन हमारा उत्साह ऐसा न हो कि उद्देश्य और मूल समस्या को ही भुला दें। सामुदायिक योजना के सम्बन्ध में यह भूल होती दिखाई दे रही है। लगता है कि तात्कालिक सफलता मूल समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं होने दे रही है। सामुदायिक योजनाओं के प्रतिफल को समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने के घोषित लक्ष्य की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, यह हमारा इलजाम है। गाँवों के विकास के सम्बन्ध में हमारी सर्वोपरि समस्या भूमि के वितरण की समस्या है। कहना न होगा कि सामुदायिक योजना इस समस्या का स्पर्श भी नहीं करती। अभी भारत के अनेक प्रदेश यही निश्चित नहीं कर पाए हैं कि भूमि समस्या का हल क्या होगा। कहीं चकबन्दी को प्रश्रय दिया जा रहा है, कहीं सहकारी खेती पर जोर दिया जा रहा है—योजना आयोग स्वतः इसके पक्ष में है—और कहीं यह तय करने पर जोर दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास खेती के लिए अधिक से अधिक कितनी भूमि हो। जाहिर है कि इससे सामुदायिक योजना का कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी समस्या है खेतिहर मजदूरों के लिए काम का प्रबन्ध करने की। सामुदायिक योजना से इस समस्या को हल करने में भी विशेष सहायता नहीं मिल रही है। तीसरी समस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सामुदायिक योजना इसमें सहायक होने के बजाय बाधक बन गई है। समाजवादी ढंग के समाज में यह उद्देश्य अन्तर्भुक्त है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का समुचित वितरण हो। यह नहीं हो रहा है। सामुदायिक योजना का लाभ वही वर्ग उठा पाता है जिसके पास कुछ है, अर्थात खेती के लिए काफी भूमि हो तो अच्छा बीज मिल जाएगा, कृषि के अच्छे यन्त्र मिल जाएँगे। गरीब तो गरीब ही बना रह जाता है। सड़कों के सुधार, गाँवों की सफाई, पंचायत भवनों के निर्माण से गाँवों की दशा में सुधार हो जाए, यह बात दूसरी है; लेकिन इससे गरीबी का अन्त कैसे होगा? इससे विषमता कैसे मिटेगी? यह बनी रहेगी तो वर्ग संघर्ष का खतरा कैसे मिटेगा? ऊँच-नीच का भाव कैसे दूर होगा? कुछ गिरा हुआ वर्ग एकदम खुशहाल हो जाए और बिलकुल गिरा हुआ वर्ग अपने स्थान पर ही रह जाए, तो समस्या सुलझने के बजाय और उलझेगी। सामुदायिक योजना में यही खामी है। इस पर और इसके परिहार पर लोक सभा में समुचित चर्चा होनी चाहिए थी, किन्तु गाड़ी विशेष आगे नहीं बढ़ी। क्या यह खेद-जनक बात नहीं है?

बनारस (वाराणसी)
३१-७-५७

★

सामूहिक योजनाएँ

भारत के पाँच लाख देहात में सामूहिक उन्नति की जिन योजनाओं पर कार्य हो रहा है, वे इतनी विशाल हैं कि किसी एक शहर या प्रान्त में बैठा हुआ व्यक्ति उनकी पूरी विशालता का अनुमान नहीं लगा सकता। हमारे देश की ८५ प्रतिशत जनसंख्या देहात में रहती है। देश का अन्न-भण्डार यहाँ है। देश की आशाएँ यहाँ हैं। वास्तव में देश यहाँ है। ये ८५ प्रतिशत

लोग यदि ऊपर उठ सकें, तो देश का पिछड़ापन दूर हो जाए। सम्पन्न हो सकें तो देश की गरीबी दूर हो जाए। परन्तु 'पाँच लाख देहात' ये तीन शब्द कहने जितने सरल हैं, इनकी समस्याओं को समझना, इनकी समस्याओं को हल करनेवाले प्रयत्नों को जानना तथा सभी विवरणों से परिचित होना सरल नहीं। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि हमारे देश के सामने ३६ करोड़ समस्याएँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक समस्या है। यह बात यदि ठीक न भी हो तो भी यह तो सच है कि इन पाँच लाख देहात में से प्रत्येक गाँव की एक समस्या है। अनेक गाँव ऐसे हैं जिनकी कई-कई समस्याएँ विद्यमान हैं। अनेक गाँव ऐसे भी हैं जिनमें सात या आठ हजार व्यक्ति रहते हैं। अनेक ऐसे है जिनकी कुल जनसंख्या दो या तीन सौ व्यक्तियों तक सीमित है। एक समय था जब इनमें से अधिकतर गाँव-स्वनिर्भर यूनिट थे। अपनी आवश्यकता की प्रत्येक चीज़ वे उत्पन्न करते थे। कपड़ा, जूतियाँ, आवश्यक दवाइयाँ, आवश्यक उपकरण और इस प्रकार की अन्य चीज़ें उपलब्ध करने के लिए लघु उद्योग इनके अन्दर विद्यमान थे। अधिकतर लोग उन उद्योगों में काम करते थे। अपनी बनाई हुई चीज़ देश के दूसरे भागों में तथा देश के बाहर भी भेजते थे। शेष लोग कृषि पर निर्वाह करते थे। उस समय यह देश सम्पन्न था क्योंकि ये देहात सम्पन्न थे। तब अंग्रेज़ का समय आया। वह यहां व्यापार के लिए आया था। उस का प्रथम उद्देश्य यह था कि भारत का उद्योग नष्ट हो जाए। इसके स्थान पर ब्रिटेन का उद्योग चले। ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं भारत में आ कर बिकने लगीं। यह बात केवल इस अवस्था में हो सकती थी जबकि भारत में उद्योग बन्द हों तथा भारत के लोग अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए ब्रिटेन के आश्रित हों। इस उद्देश्य को सन्मुख रखते हुए उन्होंने भारत के उद्योगों को क्रमशः नष्ट किया। ये उद्योग पूंजीवाद पर आधारित नहीं थे, बड़े-बड़े कारखाने नहीं थे। हमारे देहात में व्यावहारिक तौर पर हमारा सारा उद्योग घरेलू दस्तकारियों के रूप में फैला हुआ था। लोग अपने हाथों से काम करते थे। सारा कारखाना एक आदमी या एक परिवार का होता था। इसलिए ये उद्योग अंग्रेज़ की घातक नीति का सामना न कर सके। इन में काम करनेवाले लोग विवश हुए कि भूमि पर निर्वाह करें। धीरे-धीरे भूमि पर भार बढ़ता गया। उपज में अधिक वृद्धि नहीं हुई। इन लोगों में असाधारण वृद्धि हो गई जो केवल इस उपज को अपने निर्वाह का साधन बना सकते थे। थोड़ी चीज़ अधिक लोगों में बँटने लगी तो स्वाभाविक तौर पर गरीबी आने लगी। देश की ८५ प्रतिशत जनता गरीब हो गई तो देश गरीब हो गया। आज अंग्रेज़ नहीं, उसकी कूटतापूर्ण चालें नहीं हैं, फिर से हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो इसका एकमात्र मार्ग यही है कि इन ८५ प्रतिशत लोगों को सम्पन्न बनाया जाए। इन्हें सम्पन्न बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि देहात में फिर से उन घरेलू उद्योगों को शुरू किया जाए जिन्हें अंग्रेज़ ने नष्ट किया था। स्पष्ट है कि देहाती उद्योगों का जो चित्र अब हमारे सामने आएगा, वह उस चित्र से भिन्न होगा जो अंग्रेज़ के आगमन से पूर्व था। उन दिनों हमारे देश में बड़े-बड़े कारखाने नहीं थे, अब विद्यमान हैं। इनको हमें समाप्त नहीं करना है। इनके साथ-साथ देहाती उद्योगों को जगाना है। इन्हें जगाने के लिए देहातियों को औद्योगिक शिक्षा देना है। देहात की दशा को सुधारना है। वहाँ सफाई तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना है। इस बात का प्रबन्ध करना है कि एक स्थान पर निर्मित तथा पैदा हुई चीज़ें सरलता से अन्य स्थानों पर पहुँच सकें। यह है संक्षिप्त शब्दों में सामूहिक योजना का काम। यह काम जब पाँच लाख देहात में हो रहा हो तो कितना विशाल होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं। एक या दो दिन में, एक या दो वर्षों में यह काम सरल नहीं है। अंग्रेज़ ने जिस चाज़ को समाप्त करने में करीब डेढ़ सौ वर्ष लगाए, उसे फिर से पैदा करने में कम से कम २०-३० वर्ष तो लगेंगे। तुरन्त कोई परिणाम निकलनेवाला नहीं। एकदम निराश होने की जरूरत भी नहीं। ऐसी अवस्था में भारत सरकार के मन्त्री श्री एस० के० दे ने यह क्यों कहा कि यदि राज्य विधान सभाओं तथा लोक सभा के सदस्यों ने सामूहिक योजना के कार्यक्रम में रुचि न ली, तो यह कार्यक्रम खतरे में पड़ जाएगा? मुझे इस निराशा का कोई कारण दिखाई नहीं देता। वास्तविकता यह है कि पिछले एक सौ वर्षों में हमारी सारी राजनीति केवल शहरों की राजनीति बन कर रह गई। शहर के लोगों से इस बात की आशा रखना कि वे इस गलत आदत को शीघ्र बदल देंगे, एक गलत-सी बात होगा। उचित यह है कि कौन रुचि लेता है या कौन नहीं लेता, इस बात को भूल कर इस महत्वपूर्ण तथा आवश्यक कार्य को जारी रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की दुर्बलता न आने दी जाए।

हिन्दी मिलाप (जालन्धर)
२-८-५७

★

श्रम, जीवन और उल्लास

कुन्तलकुमार जैन

मेघ को खेत पर प्यार आने लगा
मेंड़ पर मैं खड़ा यह रहा देखता।

ज़िन्दगी के मधुर गीत गाता हुआ,
खेत में इक कृषक गुनगुनाने लगा,
बैल के कण्ठ में डाल कर हल कोई,
स्वर्ग-सम इस धरा को बनाने लगा।

तृप्ति औ' प्यास को देख कर सामने,
जिन्दगी के सरस स्वप्न चुनने लगा,
मोहनी शक्ल जो आँख में थी कभी
मेंड़ पर मैं खड़ा यह रहा देखता।

हाथ में बाजरे की लिए रोटियाँ,
लो कृषक की वधू खेत को चल पड़ी,
यह हवा मन्द चलती हुई छू गई,
लाल गहरी चुनरिया मचल-सी पड़ी।

स्नेह सन्तोष को प्राण से बाँध कर,
एक उत्साह की लहर चलती रही,
मैं शहर का निवासी खड़ा पंथ पर,
दृश्य अभिराम विस्मित रहा देखता।

कजरियों से लगी झोंपड़ी गूँजने
वायु-पलना लगे गीत वे झूमने
मेघ भी आसमाँ में थमा कुछ समय
फिर लगी कल्पना प्राण को चूमने

नील नभ में लगी चंचला नाचने
जल छमाछम बरसने लगा आँगने
शोर करता हुआ चल पड़ा 'खार'[1] से
मैं रहा 'पेडले'[2] पर खड़ा देखता।

१. गली
२. घर के बाहर का चबूतरा

: १ :

दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा

सत्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'समाज शिक्षा' अध्याय के प्रथम खण्ड में लिखा है कि 'प्रौढ़ शिक्षा' शब्द बड़ा ही संकीर्ण अर्थ रखता है। प्रौढ़-शिक्षा से सिर्फ प्रौढ़ों की साक्षरता का ही आभास मिलता है। इसलिए इस शब्द को 'समाज शिक्षा' की संज्ञा दे कर इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है। अब समाज शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ों शिक्षा के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वस्थ मनोरंजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, औषधि-वितरण-शिक्षा, आर्थिक-उन्नति, सामाजिक-कुरीतियों का सुधार एवं नागरिकता प्रशिक्षण आदि भी आते हैं। समाज शिक्षा अब व्यापक अर्थ रखती है। इसका क्षेत्र भी व्यापक है। अस्तु, यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि समाज शिक्षा जनता में रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने की प्रवृत्ति लाती है और जीवन के समस्त पहलुओं पर विचार करती है। जीवन की आवश्यक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक होती है। समाज शिक्षा विभिन्न सामाजिक-सूत्रों को एक सूत्र में आबद्ध कर बल प्रदान करती है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय, भाषा-प्रचार पुस्तक-प्रकाशन, दृश्य-श्रव्य शिक्षा, समाज शिक्षा संगठकों के प्रशिक्षण तथा जनता-कालेजों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

१९५१ की जनगणना के अनुसार १६.६ फीसदी जनसंख्या ही पढ़ी-लिखी है। यह स्थिति काफी शोचनीय है। इतना ही नहीं, पुरुष एवं महिला साक्षरों की संख्या में काफी अन्तर दीख पड़ा है। यह देश के हित में अच्छा नहीं है। पुरुषों में कुल २४.९ प्रतिशत साक्षर हैं एवं स्त्रियों में ७.९ प्रतिशत ही साक्षर हैं। इसी प्रकार गाँव और शहर में अन्तर है। शहरों में ३४.६ प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं जबकि गाँवों में १२.१ प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं। इन आँकड़ों से यह साफ दीख पड़ता है कि गाँव कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। यदि भारत में लोकतन्त्र को सफल बनाना है तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के साथ ही साथ यदि अशिक्षा को दूर करने की कोशिश जोर-शोर से नहीं की गई तो भारत की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। भारत के लाखों गाँवों में ये समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। अस्तु, गाँवों एवं ग्रामीणों को अब कदापि नहीं भुलाया जा सकता है। इसीलिए हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रत्येक खण्ड में २५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में १,२५,००० शिक्षण केन्द्र हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त जहाँ खण्ड कार्यालय नहीं है, वहाँ भी शिक्षण केन्द्र खुल गए हैं। प्रथम योजना में जो केन्द्र खोले गए हैं, वे भी चलते रहेंगे। यद्यपि अभी तक इन केन्द्रों से कोई खास लाभ नहीं दीख पड़ रहा है, पर यह निश्चित है कि एक दिन देश में अशिक्षा की समस्या को हल करने में समाज-शिक्षा अपना बहुत बहुत बड़ा भाग अदा करेगी।

समाज शिक्षा केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही आवश्यक है किन्तु यहसमाज शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का एक अंग है। इसकी प्रगति के लिए दूसरी योजना में सामुदायिक-केन्द्रों की स्थापना एवं संगठन की व्यवस्था है। ये सामुदायिक केन्द्र निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन एवं संगठन करेंगे—

(क) गाँववालों को इकट्ठा करना
(ख) मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
(ग) सिनेमा आदि का प्रदर्शन
(घ) सूचना-केन्द्र
(ङ) कैरम, ताश, शतरंज, कुश्ती आदि का आयोजन
(च) वाद-विवाद, कविता-पाठ आदि
(छ) प्रौढ़ों के घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास एवं सेवा-कार्य
(ज) गाँववालों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय
(झ) गाँववालों में शादी-विवाह आदि के अवसर पर प्रीति-भोज आदि कराने के लिए अच्छा स्थान

इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आदर्श सामुदायिक केन्द्र भी होंगे। इस योजना में प्रत्येक खण्ड

में एक आदर्श सामुदायिक केन्द्र, दस साधारण सामुदायिक-केन्द्र एवं प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ सभी गाँववाले समय-समय पर आपस में मिल कर किसी भी विषय पर विचार-विमर्श कर सकें।

इस प्रकार का सामुदायिक-कार्यक्रम समाज शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की ज़रूरत को समझें और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए रचनात्मक कार्य करें। इससे गाँववालों में एक नई चेतना पैदा होती है।

ग्राम पंचायतें, विकास मण्डल आदि तो पहले से ही थे किन्तु इनके अतिरिक्त महिला मण्डल एवं युवक दल का भी संगठन आवश्यक है। इससे समाज शिक्षा का कार्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। नवयुवक दल यद्यपि शारीरिक शिक्षा अर्थात् कुश्ती एवं पहलवानी में ही मस्त रहता है, फिर भी यह दल समाज शिक्षा कार्यकर्त्ताओं के लिए भी लाभप्रद है।

महिलाओं के लिए इस योजना में प्रत्येक खण्ड में दस महिला समितियाँ खोलने का विचार है। इन महिला समितियों के निम्नलिखित कार्य होंगे—

(१) ग्रामीण महिलाओं को लोकगीत, भजन आदि सिखाना
(२) धार्मिक एवं सामाजिक त्योहार मनाना
(३) घर सुधारना एवं शिशु-कल्याण के लिए वार्ताओं तथा वाद-विवाद की व्यवस्था करना
(४) मगन-चूल्हे का निर्माण
(५) सिलाई, कताई तथा अन्य उद्योग
(६) मातृ-कल्याण
(७) बल-वर्द्धक एवं पौष्टिक भोजन
(८) सामान्य गृह-कार्य की शिक्षा
(९) घरेलू उपयोग की दवाइयों की जानकारी
(१०) घरेलू अर्थशास्त्र एवं बागवानी
(११) घर की सजावट एवं सफाई
(१२) स्त्री शिक्षा
(१३) पर्दा-प्रथा दूर करना
(१४) स्त्रियों में खेल-कूद का प्रचार
(१५) सामाजिक कुरीतियों को दूर करना

इन महिला समितियों का संगठन महिला समाज शिक्षा-संगठक ही भली-भाँति कर सकती है। सभी प्रकार के केन्द्रों एवं समितियों का प्रबन्ध प्रत्येक खण्ड के समाज शिक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। ये अधिकारी कार्यक्रम विकास खण्ड के शिक्षित युवकों और युवतियों की सहायता से चलाते हैं।

पुस्तकालय

समाज शिक्षा क्रान्ति में पुस्तकालय सिर्फ जन-साधारण की शिक्षा के लिए ही अमूल्य साधन नहीं हैं, वरन् प्रौढ़ शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था की उन्नति के लिए एवं समाज शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भी एक आवश्यक साधन हैं। देश के पुस्तकालयों को सहयोग एवं संगठनात्मक रूप देने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय एवं जिला पुस्तकालय संघ की स्थापना की एक स्कीम बनाई है। जिला पुस्तकालय अपने क्षेत्र के गाँवों एवं शहरों में या तो स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा या गाँवों के छोटे-छोटे पुस्तकालयों की मदद करेगा। इसी प्रकार राज्य पुस्तकालय संघ, जिला पुस्तकालय संघ की मदद करेगा। यह राज्य स्तरीय प्रशासन भी करेगा। प्रथम योजना में ७ राज्यों ने अपने यहाँ राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना की घोषणा की है। अब तक भारतवर्ष में कुल १०० जिलों में जिला पुस्तकालय संघ हैं। आशा की जाती है कि दूसरी योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में राज्य पुस्तकालय संघ एवं प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय हो जाएँगे। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में पुस्तकालय-योजना को भी मुख्य स्थान दिया गया है। इस योजना में प्रत्येक खण्ड में ११ ग्रामीण पुस्तकालयों के अन्तर्गत २० चलते-फिरते पुस्तकालयों का भी संगठन किया गया है। इस प्रकार के पुस्तकालय पश्चिम बंगाल में सफल सिद्ध हो रहे हैं। रामकृष्ण-मिशन की ओर से पुस्तकालय-क्रान्ति बंगाल में बड़े जोर-शोर से चलाई जा रही है। इसमें बेलूर मठ के समाज शिक्षा संगठकों (जो भारत के कोने-कोने से प्रशिक्षण के लिए आते हैं) एवं स्थानीय समाज शिक्षा केन्द्रों के प्रौढ़ों से काफी मदद मिल रही है।

साहित्य

'साक्षर' विवरण में ऐसा पाया गया है कि नव साक्षर व्यक्ति पढ़ाई-लिखाई के सम्पर्क में न रहने के कारण कुछ ही दिनों में पिछला पढ़ा-लिखा सब भूल जाते हैं और इस तरह एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब कि साक्षरों के लिए उत्तम साहित्य का बराबर सृजन किया जाता रहे और जिसे वे दिलचस्पी के साथ पढ़ सकें। इसलिए प्रौढ़ों के लिए साहित्य प्रकाशन भी समाज शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत है। सुयोग्य साहित्य समाज शिक्षा के सन्देश को सहज एवं विस्तृत रूप में लोगों तक पहुँचाने का उत्तम कार्य करता है। इससे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी सहायता मिलती है। इस प्रकार के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा

[शेष पृष्ठ २१ पर]

'काश्मीर में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की सब से बड़ी विशेषता क्या है ?' मैंने यह सीधा सवाल काश्मीर के प्रधान मन्त्री बख्शी गुलाम मुहम्मद से ही किया, जो राज्य के सामुदायिक विकास मन्त्री भी हैं। वह उस समय अपने पहलगाम स्थित छोटे पर सुरम्य निवासस्थान पर ठहरे हुए थे। बख्शी साहब ने अपनी स्वाभाविक मुस्कान से उत्तर दिया—"सामुदायिक विकास के क्षेत्र में हम काश्मीर में उन लक्ष्यों तक पहुँच चुके हैं जहाँ भारत के अन्य राज्य १९६१ तक पहुँचने का विचार कर रहे हैं। सारा काश्मीर इस समय सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत है। जनता में अपार उत्साह था। इसलिए हम रुक नहीं सकते थे।" "पर आपने यह सब किया किस तरह ? केन्द्रीय सरकार ने तो सभी खण्डों के लिए सहायता नहीं दी होगी ?" मैंने प्रश्न किया। "आपका विचार ठीक है। जब १९५६ में हम समूचे राज्य को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए थे, तो उस समय हमें ५२ खण्डों में से केवल २४ खण्डों में काम शुरू करने की अनुमति मिली थी। बाकी खण्डों का व्यय हमने खुद उठाया। चालू वर्ष में इन ५२ खण्डों में से ४६ केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएँगे।"

यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि इस कार्यक्रम का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या जनता ने इस काम में उत्साहपूर्वक सहयोग दिया है ? क्या सदियों से पिछड़े हुए गरीब और अनपढ़ लोगों के मानसिक दृष्टिकोण में इस कार्यक्रम से कुछ परिवर्तन आया है ? मैं इन सवालों का जवाब जानना चाहता था।

अगले दिन मैं जीप में काश्मीर के गाँवों को देखने निकल पड़ा और लगभग २०० मील की यात्रा की। मैंने गन्धरबल विकास खण्ड के लगभग एक दर्जन गाँव देखे। इस खण्ड में कोई ८०,००० आदमी १४४ गाँवों में रहते हैं। मैंने इस क्षेत्र में बचोरा पंचायत द्वारा किए गए कार्य का विशेष अध्ययन किया। इस पंचायत ने जो कार्य सम्पन्न किए थे, उन पर लगभग १५,४०० रुपए खर्च हुए थे। इस राशि में से राज्य सरकार ने केवल ४,००० रुपए ही दिए थे। शेष ११,४०० रुपए जनता ने नकद या श्रमदान के रूप में दिए थे।

ये आँकड़े अपनी कहानी आप कहते हैं। मैंने देखा कि जनता किसी भी नए काम में भाग लेने को अत्यन्त उत्सुक थी। यहाँ के लोग काम करने में तेज और उत्साही हैं और प्रत्येक नए विचार का स्वागत करते हैं। वे बहुत सवाल नहीं पूछते। एक बार जब उन्हें ग्राम सेवक की ईमानदारी पर विश्वास हो जाता है, तो वे उसके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अब तक सारे जम्मू और काश्मीर राज्य में कुल मिला कर ५०लाख रुपए का जनसहयोग मिल चुका है। दूसरी ओर सरकार ने इस कार्यक्रम पर केवल ४७ लाख रुपए खर्च किए हैं। भारत के कई अन्य राज्यों के मुकाबले ये आँकड़े बेहतर हैं।

यहाँ पर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि काश्मीर बड़ा गरीब और पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जनता का यह अनुदान उनकी शक्ति से अधिक है।

काश्मीर में सामुदायिक विकास

प्राणनाथ सेठ

पंचायत राज्य

काश्मीर राज्य के सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की एक और महती विशेषता यह है कि इस सारे कार्यक्रम की केन्द्रबिन्दु पंचायतें हैं। सारे राज्य में एक भी ऐसा गाँव नहीं है जो किसी न किसी पंचायत के अन्तर्गत न आता हो। इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है और लोकतन्त्री ढंग से इनका चुनाव होता है। भारत के अन्य भागों में खण्डों को उनकी निर्धारित राशि सौंप दी जाती है। इस तरह कुछ इलाकों में तो, खास कर उनकी जो खण्ड के मुख्यालय के नजदीक हों, विशेष प्रगति हो जाती है, जबकि दूर के इलाकों में अपेक्षाकृत कम कार्य शुरू किए जाते हैं। अपनी हाल की एक रिपोर्ट में कार्य जाँच संगठन ने भी इस त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु दूसरी ओर, काश्मीर में निर्धारित राशि पंचायतों को सौंप दी जाती है और उन्हें यह भी बता दिया जाता है कि किस मद में कितनी राशि खर्च की जाए। पंचायत इतर कार्य करने के लिए खण्डों को भी कुछ राशि मिलती है। सभी विकास कार्य जैसे

सड़कें बनाना, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार आदि गतिविधियाँ पंचायतों को सौंप दी गई हैं। सरकार उन्हें आवश्यक वित्तीय और टैकनीकल सहायता देती है। सामुदायिक विकास-कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंचायतों पर ही है। पिछले वर्ष पंचायतों का सब से महत्वपूर्ण कार्य था ६५० पंचायत घरों (सामुदायिक केन्द्रों) का निर्माण जिनमें से ४५० काश्मीर में और ५०० जम्मू में बनाए गए।

एक पंचायत घर के बनाने में लगभग ४,००० रुपए लागत आती है। इसमें से सरकार केवल १,००० रुपए देती है। भारत के सामुदायिक विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्र कुमार दे कार्यक्रम में पंचायतों के विशेष महत्व पर जोर देते रहते हैं। काश्मीर में उनके इस विचार को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई मनोरंजक परीक्षण किए जा रहे हैं। मैंने श्रीनगर से ५०मील दूर बान्दीपुर में एक पंचायत देखी जो लगभग आत्मनिर्भर है। पंचायत का अपना एक शानदार भवन और फलों के बीजों की एक नर्सरी है। इस बाग से ६,००० रुपए वार्षिक आमदनी होती है। आशा है कि अगले तीन वर्षों में यह दुगनी हो जाएगी।

एक पंचायत, एक ग्राम सेवक

राज्य सरकार ने अनुभव किया कि जम्मू और काश्मीर जैसे पर्वतीय प्रदेश में एक ग्राम सेवक को दस गाँव सौंप देना दरअसल ज्यादती है। इसलिए हर पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक नियुक्त किया गया है। हर खण्ड में २० से लेकर २५ तक पंचायतें हैं। इस तरह ग्राम सेवक का अपने क्षेत्र के लोगों से निकट सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इसका उदाहरण यह है—मैंने बचोरा पंचायत के ग्राम सेवक गुलाम मुहम्मद मीर से पूछा कि आप लोगों की जरूरतों का पता किस तरह लगाते हो? उसने बड़े गर्व से यह जवाब दिया—"मैं अपनी पंचायत के हरेक व्यक्ति को जानता हूँ। मेरी सलाह के बिना वे कोई काम नहीं करते।" ग्राम सेवक को ऐसा ही होना चाहिए।

प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी

राज्य सरकार के पास आवश्यक मात्रा में प्रशिक्षित ग्राम सेवक तो हैं; पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि के लिए प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ताओं की कमी है। कुछेक स्थानों में तो एक विस्तार अधिकारी एक से अधिक खण्डों का काम देख रहा है। इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं। राज्य सरकार कृषि व पशु रोगों आदि के बारे में कार्यकर्ताओं को राज्य में और राज्य के बाहर की संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेज रही है। देहाती इलाकों में काम करने के लिए तो महिलाओं का बड़ा अभाव है। वे इस काम के लिए तैयार ही नहीं होतीं।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम ने जम्मू और काश्मीर राज्य में विशेष सफलता प्राप्त की है। काश्मीर ही भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पहली कक्षा से ले कर एम० ए० तक शिक्षा निःशुल्क है। काश्मीर के लोगों को शिक्षा की बहुत कम सुविधाएँ प्राप्त रही हैं। परन्तु उनमें ज्ञानार्जन की उत्सुकता हमेशा रही है। अब तो यह उत्साह और भी बढ़ गया है जो अधिकाधिक स्कूलों की मांग के रूप में प्रकट हो रहा है। हरेक गाँव के निवासियों की इच्छा है कि उनके गाँव में एक स्कूल हो और यदि वहाँ स्कूल है, तो वे चाहते हैं कि उसमें ऊँची कक्षाएँ खोली जाएँ। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में काश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आर्थिक प्रभाव

मैं यह देखने को बहुत उत्सुक था कि इस कार्यक्रम का लोगों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। आँकड़ों पर मेरा विश्वास नहीं है। इसलिए मैं एक धान के खेत में घुस गया और एक बड़ी उम्र के किसान रमज़ान से पूछा—"क्या आप साल भर की जरूरतों के लायक धान पैदा कर लेते हैं?" उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया—"मैं इतना धान पैदा कर लेता हूँ कि ६ महीने तक अपने परिवार का पेट पाल सकूँ; पहले तो मैं केवल तीन महीने के लायक धान पैदा कर सकता था।" मेरा दूसरा सवाल था—"सामुदायिक विकास-कार्यक्रम पैदावार बढ़ाने में आपकी सहायता किस तरह करता है?" "वे हमारे खेतों के लिए पानी का प्रबन्ध करते हैं, हमें बीज तथा उर्वरक आदि देते हैं, तथा जिस किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे मुहैया करते हैं।" यह उत्तर सन्तोषप्रद था। मुझे विश्वास हो गया कि काश्मीर के सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में ज़िन्दगी है!

राजस्थान में विकास-कार्यक्रम

राजस्थान में इस वर्ष जून के अन्त तक ५४ लाख की जनसंख्या वाले १२,८६४ गाँवों में १० विकासोत्तर, २६ ग्राम विकास और ४० ग्राम सेवा योजनाएँ चल रही थीं। इनके अतिरिक्त ११ ग्राम सेवा योजनाएँ और भी थीं जो मई में आरम्भ की गई थीं।

उस जनसंख्या का १४ प्रतिशत विकासोत्तर योजनाओं के अन्तर्गत था, २६ प्रतिशत ग्राम विकास तथा शेष ग्राम सेवा योजनाओं में आता था।

इन सब योजनाओं पर कुल सरकारी व्यय ४८३.६६ लाख रुपया हुआ, जबकि जनता ने ३८५.६० लाख रुपए का योगदान दिया। इस प्रकार जनता का योगदान कुल सरकारी व्यय का ७६ प्रतिशत रहा।

राष्ट्रीय सांकेतिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसम्बर, १६५६ के अन्त तक ग्राम विकास और ग्राम सेवा क्षेत्रों में कृषि के उन्नत उपाय अपनाए जाने के फलस्वरूप मुख्य फसलों का उत्पादन लगभग २५ प्रतिशत बढ़ गया। खेतों पर ६१,००० से भी अधिक प्रदर्शन किए गए और ५,८७,२७६ मन अच्छी किस्म के बीज तथा २,११,२३५ मन रासायनिक खाद वितरित की गई। कुल १,०४,०३६ एकड़ बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिणत किया गया। इस वर्ष जून के अन्त तक १०४ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और पशु नस्ल सुधार केन्द्र विभिन्न ग्राम विकास और ग्राम सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इसी अवधि तक १,३६३ अच्छी नस्ल के पशु तथा ४,२०३ पक्षी भी वितरित किए जा चुके थे।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत ३,६५८ नई सहकारी समितियाँ संगठित की गईं जिनकी सदस्य संख्या १,३०,४८८ थी।

लघु सिंचाई-कार्यक्रम इस काल में समस्त राज्य भर में मूर्त रूप ले रहा था, अतः सिंचाई की सुविधाएँ ग्राम स्तर भर भी उपलब्ध हो सकीं। ग्राम विकास एवं ग्राम सेवा क्षेत्रों में १६५५-५६ में ४३,३७६ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी, किन्तु १६५६-५७ में यह बढ़ कर ७४,२५३ एकड़ हो गई।

ग्राम विकास तथा ग्राम सेवा क्षेत्रों में जनता ने स्कूल भवनों के निर्माण के लिए श्रम एवं नकद रुपया दिया। जून के अन्त तक १,५६७ स्कूल चालू हो गए थे और ५७१ साधारण स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिणत कर दिया गया था। ग्राम विकास-कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय को सम्बद्ध करने के लिए अधिकारियों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इण्टर तथा अर्थशास्त्र व शिक्षा-विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्राम विकास का विषय भी सम्मिलित कर लिया जाए।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या, जो सितम्बर, १६५५ में १,२८२ थी, इस वर्ष जून मास के अन्त में ४,६१५ हो गई। मनोरंजन केन्द्रों सहित सामुदायिक केन्द्रों की संख्या १,४६६ से बढ़ कर ६,०८८ तक पहुँच गई। युवक संघ, कृषक समिति, महिला समिति आदि संगठनों की संख्या भी इसी अवधि में ४६६ से बढ़ कर ४,६५८ तक हो गई। ग्रीष्म अवकाश-काल में लगभग ६,६६१ ग्राम नेता प्रशिक्षित किए गए। स्थानीय संस्थाओं के विकास पर विशेष बल दिए जाने के फलस्वरूप १,४७२ नई पंचायतों तथा अन्य अनुविहित स्थापित संस्थाओं तथा ६,७०६ विकास मण्डलों आदि की स्थापना की गई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण कदम सन्तति नियमन है, जिसके अन्तर्गत जनता को यह शिक्षा दी जा रही है कि प्रत्येक परिवार को बच्चों की संख्या इस प्रकार नियमित करनी चाहिए कि उनके लालन-पालन और शिक्षा की व्यवस्था भली-भाँति की जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास तथा ग्राम सेवा योजना क्षेत्रों में ग्राम तथा लघु उद्योगों के समुचित विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकेंगे।

ग्रामीण कला-कौशल एवं उद्योग के क्षेत्र में २,५४६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और राज्य के विभिन्न ग्राम विकास योजना क्षेत्रों में १७१ उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र चल रहे हैं। १,७४३ व्यक्तियों को पूरा रोजगार तथा ६,०४० व्यक्तियों को आंशिक रोज़गार मिला है। आगामी वर्षों में प्रारम्भ होने वाले खण्डों की टेकनिकल कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। अब तक ८६६ ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राज्य स्तर पर मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की गई है जिसके संयोजक अंक विभाग के संचालक तथा राजस्थान विश्व-विद्यालय के एक स्थानीय अर्थशास्त्री सदस्य हैं। समिति को श्रमदान पक्ष के अन्तर्गत हुए कार्य की जाँच करने का काम सौंपा गया था और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया गया है।

नीलगिरि कल्याण विस्तार योजना में कुछ लड़कियाँ चरखा कातना सीख रही हैं.

रामरेपुर (उत्तर प्रदेश) के कस्तूरबा ग्रामीण कल्याण प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षार्थी टोकरी बुनती हुई

उत्तर प्रदेश के एक गाँव के कल्याण योजना क्षेत्र में खेलते हुए नन्हे-मुन्ने

देश के कोने कोने में विकास-योजनाओं की प्रगति

उड़ीसा के एक विकास खण्ड में एक जच्चा-बच्चा कल्याण-केन्द्र

मैसूर का एक शिशु एवं महिला कल्याण केन्द्र

कृषि [illegible] विभाग में [illegible] की प्रयोगशाला का एक दृश्य

एक पशु चिकित्सक ग्रामीणों को अच्छी नस्ल की मुर्गी के सम्बन्ध में बता रहा है

शिमोगा सामुदायिक योजना क्षेत्र का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

फरहताबाद के सामुदायिक केन्द्र का एक विहंगम दृश्य

जयपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के कलवाड़ गाँव में श्रमदान द्वारा सड़क निर्माण

डाक्टर और ग्राम नेताओं द्वारा महागाँव में बननेवाले अस्पताल की प्रगति का निरीक्षण

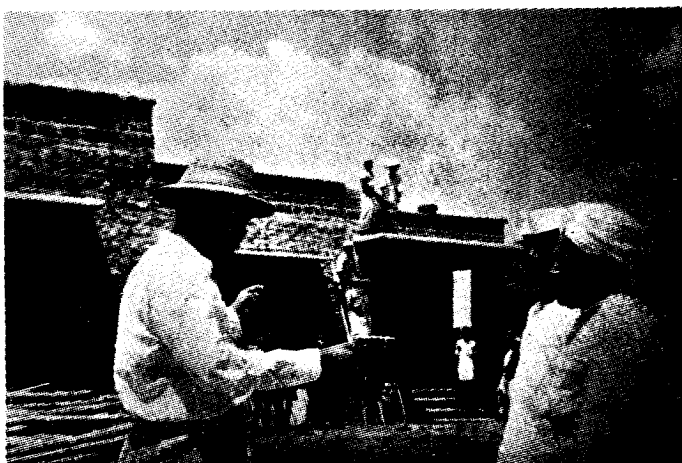

रायपुर खण्ड (मध्य प्रदेश) में गाँववालों द्वारा बनाया जाने वाला पंचायतघर

सागर जिले के कोरटीकेरी गाँव की गलियाँ साफ़ करती हुई कुछ ग्रामीण महिलाएं

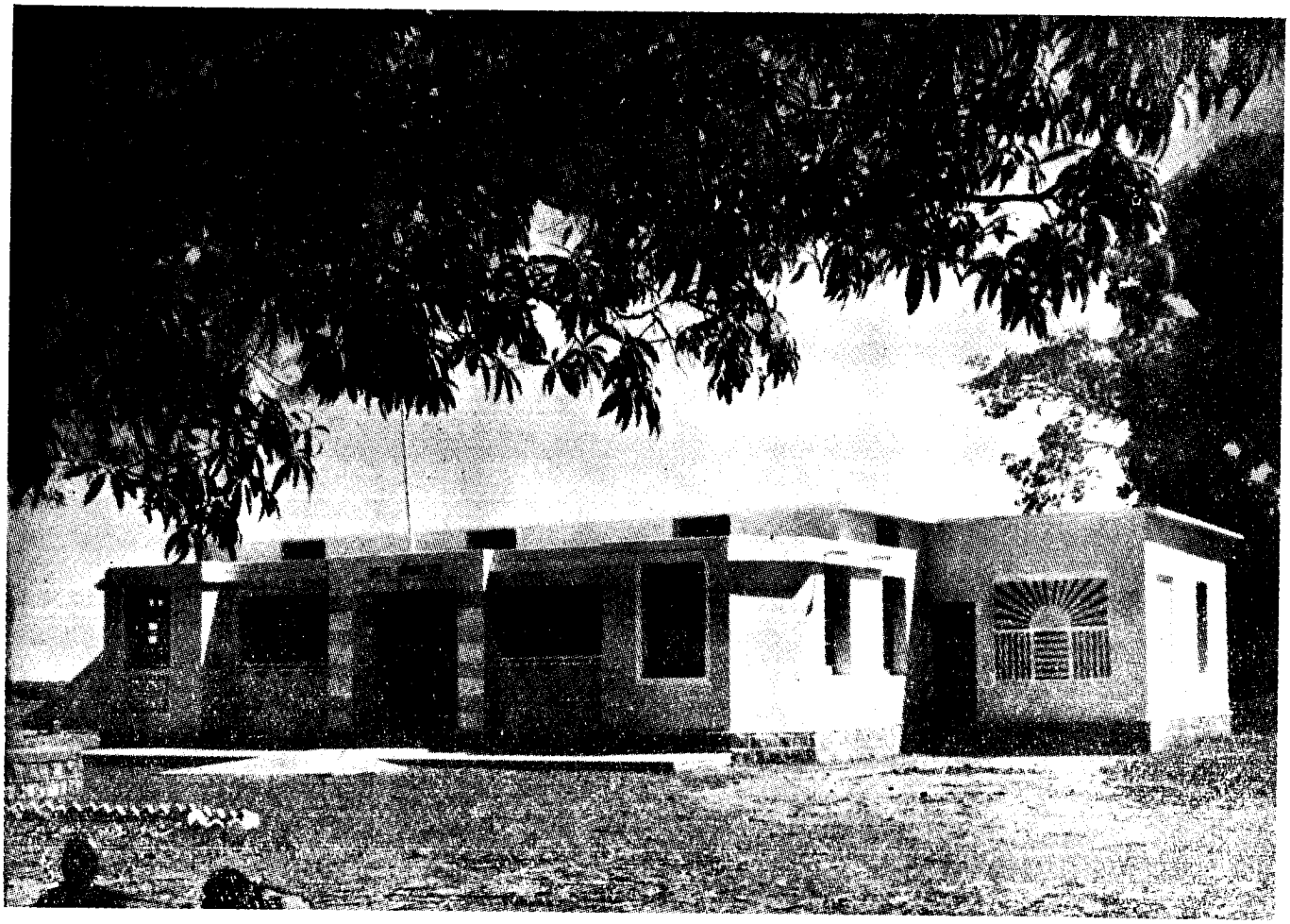

सांची (भोपाल) सामुदायिक विकास खण्ड में श्रमदान से निर्मित दस शय्याओं वाला एक अस्पताल

बैतूल विकास खण्ड

रा० श्या० पारे

आज़ादी मिलने के बाद देश की उन्नति के लिए कई नए कदम उठाए गए। अनाज की विकट समस्या के हल करने के लिए तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति हेतु पहली पंचवर्षीय योजना बनी। उसके सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के बाद अब दूसरी योजना चालू है। गाँवों की उन्नति हेतु विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड खोले गए। अन्य खण्डों के साथ ही गान्धी जयन्ती के सुअवसर पर २ अक्तूबर सन् १९५३ को इस विकास खण्ड का राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के रूप में उद्घाटन किया गया। केवल १॥ वर्ष के समय में ही जनता के सहयोग तथा विकास कार्यों की प्रगति से प्रभावित हो सरकार ने इससे सामुदायिक विकास खण्ड के रूप में परिणत कर दिया।

इस विकास खण्ड का क्षेत्रफल ३०१ वर्गमील और जनसंख्या ६१,४०१ है। केवल बैतूल के पास लगभग ८ या १० मील का क्षेत्र ही मैदानी तथा उपजाऊ है। शेष भाग पहाड़ी अथवा खेती के लिए अनुपयुक्त है। कई स्थानों में आवागमन भी दुर्लभ है। अधिकतर जनता गरीब तथा अनपढ़ है। गाँवों में अधिकतर लोग आदिवासी हैं। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण प्रायः आसपास के लोग यहाँ के लोगों को "बैतूल के गोंड" (पिछड़े हुए) कह कर चिढ़ाया करते थे। सतपुड़ा की शाखाओं के साथ-साथ माचना, साँपना तथा राप्ती पहाड़ी नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। जलवायु ठण्डी होने तथा अज्ञानता के कारण शराब पीने कीप्र था इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित थी। सरकार द्वारा भी शराबबन्दी नहीं की गई। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह क्षेत्र प्रगति में किसी अन्य क्षेत्र से किसी प्रकार पीछे नहीं रहा क्योंकि लोगों ने यह दृढ़ निश्य कर लिया था—"प्रगति करनी है; प्रगति सही तरीके से करनी है; तथा प्रगति में किसी अन्य क्षेत्र से पीछे नहीं रहना है।" बस इसी ध्येय को ले कर यहाँ की जनता आगे बढ़ी, कन्धे से कन्धा मिला कर कार्य शुरू कर दिया। यद्यपि अभी मंजिल दूर है, किन्तु फिर भी अभी तक की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

कृषि

कृषि के अन्य कार्यों में प्रगति के अतिरिक्त यहाँ साँपना नामक पहाड़ी नदी पर लगभग ३७ लाख रुपए की लागत से एक बाँध बाँधा गया है जिससे नहरें निकाल कर लगभग ६,५०० एकड़ भूमि में सिंचाई की जाएगी।

दूसरा मुख्य कार्य जो कृषि क्षेत्र में हुआ है, वह यह कि यह की जनता उर्वरकों तथा हरी खाद का लाभ समझ गई है और स्वयं इसकी माँग करती है। ग्राम पंचायतें अपने-अपने गाँवों के लिए बिक्री के लिए उर्वरक खरीद लेती हैं तथा उनसे काश्तकार आवश्यकतानुसार खरीद लेते हैं। इसी प्रकार हरी खाद के लिए सन के बीज की बहुत अधिक माँग रहती है। इसी वर्ष लगभग एक हजार मन सन बीज काश्तकारों ने हरी खाद के लिए खरीदा, फिर भी जनता की कुल माँग पूरी नहीं की जा सकी।

यही हाल सुधरे हुए बीज तथा गेरुआँ प्रतिबन्धक गेहूँ का है। इसी वर्ष जनता की माँग देखते हुए करीब ४,४०० मन गेहूँ (६५/४) किसानों को बीज देने के लिए खरीदा गया।

पशु चिकित्सा

अन्य कार्यों के अलावा इस क्षेत्र के अन्तर्गत बैतूल में एक कृत्रिम रेतन केन्द्र खोला गया है। सोहागपुर तथा खेड़ी में मुख्य ग्राम केन्द्र तथा बैतूल के तालाब में उत्तम प्रकार की मछली पालने का व्यवसाय तथा मुर्गी पालन के धन्धे को प्रोत्साहित करने के लिए बैतूल में एक हेचरी का निर्माण हो रहा है। बारव्ही गाँव में एक पशु चिकित्सालय का निर्माण भी शीघ्र ही होने वाला है।

जन स्वास्थ्य

यहाँ के जनता में पहले यह अन्धविश्वास था कि बीमारी का कारण भूत-प्रेत होते हैं। पर अब यह अन्धविश्वास दूर हो गया है और अब यहाँ गाँववाले दवा लेने के लिए ग्राम सेवक के पास जाने लगे हैं। कई विकास मण्डलों तथा ग्राम पंचायतों ने प्राथमिक चिकित्सा की पेटियाँ खरीद ली हैं। इनके लिए ५० प्रतिशत अनुदान मिला है। अभी तक १८ ग्रामों में पेटियाँ खरीदी जा चुकी हैं। ३ ग्रामों में डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं तथा १ ग्राम में अगले वर्ष एक और डिस्पेंसरी बनने वाली है। इसी प्रकार शुद्ध जल के लिए २४ नए आदर्श कुएँ बन चुके हैं तथा १० का निर्माण हो रहा है। २१ पुराने कुओं की मरम्मत हुई है तथा ३ पर कार्य चालू है। ५,३३३ फुट कच्ची नाली ग्रामों में बन चुकी है तथा ५ हजार फुट पक्की नाली का निर्माण कार्य चालू है।

शिक्षा

योजना के पहले खण्ड में पहले ३७ प्राइमरी तथा लोअर

प्राइमरी स्कूल थे; अब ५३ प्राइमरी तथा लोअर प्राइमरी स्कूल हैं। ७ स्कूल बुनियादी स्कूलों में परिणत किए गए हैं। एक हाई स्कूल बहुमुखी माध्यमिक शाला में तथा एक कृषि मिडल स्कूल हाई स्कूल में परिणत किया गया है।

१६ शालाभवनों का निर्माण हो चुका है तथा ६ का निर्माण कार्य चालू है। ५ प्राइमरी स्कूलों तथा २ मिडल स्कूलों का निर्माण कार्य वर्षा के बाद शुरू होगा।

शिक्षा की सही प्रगति का अन्दाज़ तो तभी हो सकता है जब आप किसी ग्राम-स्कूल में जाएँ तथा वहीं विद्यार्थियों के अनुशासन को देखें। स्कूलों में इमानदारी की दूकान (आनेस्टी स्टोरों) का संगठन भी चालू है।

समाज शिक्षा

जनता की मनोवृत्ति में कितना सुधार हुआ है, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए हमें ४-६ साल पहले की स्थिति से तुलना करनी पड़ेगी, तभी हमें वास्तविक प्रगति मालूम हो सकेगी। आज लोग विकास का महत्व समझने लगे हैं। वे ग्राम को अपना समझते हैं तथा वे यह भी समझने लगे हैं कि कि वे स्वयं ही अपने आप की तथा ग्राम की उन्नति कर सकेंगे। जनता अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ रही है। जहाँ कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ केवल गरीबी ही बड़ा कारण है। गैंती फावड़े के कार्य में जनता कभी पीछे नहीं हटती। जहाँ तक सम्भव होता है, जनता कार्य करती है। ग्रामों में गुटबन्दी का भी धीरे-धीरे नाश हो रहा है।

ग्रामों में नए-नए उत्साही नेता आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पुराने लोग पहले उन कार्यों का मजाक उड़ाते थे; पर विकास-कार्यों की सफलता देख कर वे भी अब अपना सहयोग देने लगे हैं।

खण्ड के एक क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के कारण ग्रामों में आपसी सहयोग एवं शान्ति भंग करने का प्रयास किया तथा हरिजनों को मरे हुए मवेशी न उठाने के लिए भड़काया। बाद में लोगों के समझाने पर गाँव की स्थिति ठीक हो गई तथा अब लोगों में फिर पहले जैसा प्रेम हो गया है तथा किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं रहा।

इसी प्रकार आदिवासियों में शराब की लत भी धीरे-धीरे छूट रही है। कुछ गाँवों में जैसे गोराखार, साकादेही तथा ठानी आदि में तो ग्रामवासियों ने अपने ग्राम में शराब लाने तथा-पीने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

ढोंढवाड़ा गाँव के एक शिक्षित नवयुवक तथा एक महिला ने अपने ग्राम में साल भर प्रौढ़ कक्षा चलाई तथा गाँव के अशिक्षितों को पढ़ाया। इसके बदले पारिश्रमिक का जो पैसा विकास खण्ड द्वारा उन्हें मिला, उसे उन्होंने अपने गाँव की उन्नति में लगा दिया। इसी प्रकार नवयुवक दल तथा भजन रामायण मण्डलों में भी अपने कार्यक्रमों के बाद विकास सम्बन्धी विषयों पर चर्चाएँ होती हैं।

महिलाएँ भी पुरुषों से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं। वे भी आगे बढ़ रहीं हैं। चार गाँवों में सिलाई क्लासें चालू हैं जिसमें से तीन गाँवों ने ५० प्रतिशत अनुदान से सिलाई मशीनें खरीदने के लिए रुपया जमा कर लिया है। एक महिला मण्डल ने मशीन खरीद भी ली है। ३ गाँवों में बालमन्दिर चल रहे हैं। ४ समाज गृह भवनों का निर्माण भी हो रहा है।

सहकारिता तथा पंचायत

खण्ड में ४३ सहकारी ऋण समितियाँ काम कर रहीं हैं तथा बृहताकर सहकारी कृषि साख समिति रोंढा में तथा १ ग्राम विकास सभा खेड़ीसाँवलीगढ़ में कार्य कर रही है। खेड़ी की समिति आढ़त, कृषि के औजारों की बिक्री तथा किराए पर उन्हें चलाना, ठेकों का लेना, मोटर स्टेण्ड का प्रबन्ध, केण्टीन चलाना, बिस्कुट के कारखाने का चलाना आदि कार्य बहुत ही कुशलता से कर रही है। इसके अलावा खण्ड में २३ ग्राम पंचायतें तथा ७ न्याय पंचायतें भी हैं।

खेड़ीसाँवलीगढ़ में मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जो बहुत सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है।

बैतूलबाजार से गोंडीगोला, तथा बारव्ही से रेड़वा तक तथा साकादेही से उड़दन, गोहची तथा सोहागपुर के अप्राच रोड आदि १२ मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग ५ मील कच्ची सड़कें भी बन चुकी हैं।

कुछ प्रगतिशील गाँव

१. **खेड़ीसाँवलीगढ़**—आबादी १४२६। पंचायत भवन, स्कूल, अस्पताल, मातृ सदन, विश्राम गृह, मोटरस्टैंड, १ नया कुआँ, नाले पर बाँध तथा १ कुण्ड, सड़क पुलिया तथा पक्की नालियाँ, पक्का सामूहिक चबूतरा, खेल का मैदान तथा पार्क, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम विकास सभा आदि मुख्य कार्य हुए हैं। ग्राम व न्याय पंचायत का कार्य भी बहुत ही उत्तम रीति से चलता है। मुख्य उत्साही नेता श्री नासेरी जी, सूबेदार जी तथा सन्त जी आदि हैं।

२. **रोंढ़ा**—आबादी १,२२२। सड़क, लड़कियों का स्कूल, बालउद्यान, सामूहिक चबूतरा, नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल,

सहकारी कृषि साख समिति की स्थापना आदि मुख्य कार्य हुए हैं। श्री देवासे जी, डाक्टर बकाराम, केशवराव जी चौधरी तथा श्री बारंगे जी आदि मुख्य कार्यकर्त्ता हैं।

३. **साकादेही**—आबादी २८०। यहाँ के लोग प्रायः आदिवासी ही हैं, किन्तु अपनी प्रगति के बड़े इच्छुक हैं। १ मील पक्की सड़क, लगभग ३,५०० रुपए की लागत का सार्वजनिक भवन, ग्राम की एप्रोच रोड तथा नालियाँ, २ सामूहिक चबूतरे गाँववालों ने एक आदर्श कुआँ आदि कार्य किए गए हैं। श्रमदान पक्ष में पूरे १५ दिन तक, स्त्री-बच्चों तक ने अपने ग्राम की उन्नति का कार्य किया तथा लगभग १,६०० रुपए का श्रमदान १५ दिन में किया। मुख्य नेता, जाटू, मानकलाल, रामलाल, बत्तू तथा हरेसिंग गोंड हैं।

४. **पाढर खुर्द**—आबादी १६१। यहाँ भी श्रमदान पक्ष में बहुत अधिक कार्य हुआ है। अन्य कार्यों के साथ ही समाज-गृह-भवन का निर्माण भी इस पक्ष में हुआ। शालाभवन, एक नया कुआँ, एक पुराने कुएँ की मरम्मत, सार्वजनिक चबूतरा, पुलिया, एप्रोच रोड, नाली का निर्माण आदि मुख्य कार्य हुए हैं। मुख्य उत्साही नेता बोंदरू कोटवार हैं। इन्होंने स्कूल निर्माण के लिए २ एकड़ भूमि तथा १३०० रुपए का नकद दान दिया है।

कुछ अन्य प्रगतिशील गाँव **कुम्हार टेक, गोराखार, गोहची, कोलगाँव, ढोंढवाड़ा, बारव्ही तथा सोहागपुर** आदि हैं।

अन्य कार्य

यहाँ सभी ग्राम सेवकों के क्वार्टर बन चुके हैं तथा सभी अपने मुख्यालय पर रहते हैं। खण्ड विकास अधिकारी तथा विस्तार अधिकारियों के भी ५ क्वार्टर बन चुके हैं। इस खण्ड में विशेष बात यह है कि यहाँ ग्राम सेवक, विस्तार अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी आदि कर्मचारियों में आपस में बहुत ही सहयोग है तथा इसी कारण किसी भी कार्य में सभी लोगों का सहयोग आसानी से मिल जाता है तथा कार्य बहुत ही सहूलियत से हो जाता है।

इस प्रकार पिछड़े हुए क्षेत्र की गरीब जनता ने अपनी प्रगति के लिए कदम बढ़ाए हैं। अभी केवल कुछ ही कदम बढ़ पाए हैं और मंजिल बहुत दूर है; किन्तु फिर भी अपनी प्रगति का जो ध्येय उनके हृदय में अंकित है, उसकी प्राप्ति के हेतु वे आगे बढ़ते रहेंगे।

★

दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा—[पृष्ठ ११ का शेषांश]

मन्त्रालय ने आदर्श-साहित्य-सृजन के लिए एक अलग योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार की ओर से इस योजना को सफल एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता भी दी जाएगी। लेखकों के प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार 'साक्षर-कार्यशाला' (लिटरेसी वर्कशाप) का संगठन करने जा रही है। इसके लिए दूसरी योजना में प्रत्येक वर्ष में चार कार्यशालाएँ स्थापित की जाएँगी। नवसाक्षरों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई अच्छी पुस्तकों पर २५ हजार रुपए तक पुरस्कार दिए जाएँगे। ऐसी भी आशा की जाती है कि बाहरी संस्थाओं जैसे रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज आदि उत्साही समाज-सेवी संस्थाओं का भी सहयोग मिलता रहेगा।

[क्रमशः]

★

एक विकास खण्ड में हैट बनाने वाला केन्द्र

हमारे लघु उद्योग

भारत के उद्योगों में लघु-उद्योगों का अपना विशिष्ट स्थान है, जो बड़े उद्योगों, कुटीर उद्योगों और दस्तकारियों से भिन्न हैं। लघु उद्योग की परिभाषा में आनेवाले कारखाने मुख्यतः शहरों में होते हैं और बिजली तथा मशीनों का उपयोग करते हैं। उनमें और बड़े कारखानों में मुख्यतः छुटाई-बड़ाई का ही अन्तर होता है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के संगठन और विकास के काम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहली योजना में इस पर ५ करोड़ २० लाख रुपया खर्च हुआ था, लेकिन इसके मुकाबले दूसरी योजना में ५५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

ऋण की सुविधाएँ

लोगों के पास धन की कमी होने के कारण छोटे कारखानों को अच्छी तरह जमाने और उन्हें बढ़ाने में दिक्कत होती है। इसलिए, सरकार ने वर्तमान कारखानों को आसान शर्तों पर रुपया उधार देने की व्यवस्था की। लघु उद्योगों को ये ऋण सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दिए जाएँगे। आशा है, दूसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को लगभग २० करोड़ रुपए देगी। इससे राज्य सरकारों, सहकारी बैंकों, तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं की आर्थिक स्थिति और भी मज़बूत हो जाएगी।

छोटे उद्योग कायम करनेवालों को बहुत आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए स्टेट बैंक ने हाल ही में एक प्रारम्भिक योजना चलाई है। औद्योगिक सहकारी बैंकों जैसी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि वे लघु उद्योगों के लिए और अधिक सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकें।

टैकनीकल सहायता

आमतौर पर छोटे उद्योग उच्च कोटि के इंजीनियरों या व्यापारिक सलाहकारों को अपने यहाँ नियुक्त नहीं कर पाते और इस कारण उनकी प्रगति बड़ी धीमी रहती है। इस लिए सरकार ने उन्हें टैकनीकल सहायता देने की भी व्यवस्था की है, जिसका महत्व आर्थिक सहायता से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसके लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार संस्थान कायम हैं। ये संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों के लघु उद्योगों को टैकनीकल मामलों के अलावा सामान की बिक्री आदि के सम्बन्ध में भी मुफ्त सलाह और सुझाव देते हैं। अपने थोड़े से कार्य-काल में ही इन संस्थानों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है।

आशा की जाती है कि अगले साल तक बहुत से छोटे विस्तार-केन्द्र खुलने के अलावा प्रत्येक राज्य में एक-एक बड़ा संस्थान हो जाएगा। आज औद्योगिक विस्तार के कार्यों में

लगी हुई टुकड़ियाँ कई तरह का काम कर रही हैं—जैसे खास-खास लघु उद्योगों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, उन्नत तरीकों, यन्त्रों और सामान का प्रदर्शन करना और उनका उपयोग सिखाना आदि। गाँवों में बेकारी या आंशिक बेकारी को दूर करने के लिए सामुदायिक योजना क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर कई उत्पादन और प्रशिक्षण के केन्द्र खोले जा रहे हैं।

बिक्री की समस्या

छोटे उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री के बारे में काफी समय तक हालत यह रही कि उनकी खपत स्थानीय रूप से ही होती थी और दूर-दूर उसकी बिक्री करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। निश्चय ही, इससे इन उद्योगों का बहुत कम विकास हो पाता था। इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाया गया। सीधे खरीदारों और उपभोक्ताओं तक इन उद्योगों का माल पहुँचाने के लिए मोटरगाड़ियाँ चलाई गई, जो स्थान-स्थान पर पहुँच कर यह माल बेचती हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि सामान सीधा उत्पादक से उपभोक्ता के पास पहुँचता है, बिचवैये उससे लाभ नहीं उठा पाते और इस प्रकार जनता को चीजें कम दाम पर मिल जाती हैं। आज निगम का बिक्री विभाग विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की नौ मोटरगाड़ियाँ चला रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का सरकारी खरीद विभाग छोटे कारखानों को सहकारी आर्डर और ठेके दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा खास-खास जगहों पर लघु उद्योगों की वस्तुओं की थोक दुकानें भी खोली गई हैं।

मशीनों की सप्लाई

छोटे-छोटे कारखानों को बढ़िया मशीनें खरीदने और उत्पादन के अच्छे तरीके अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसके अन्तर्गत इन कारखानों को आसान किस्तों पर मशीनें दी जाती हैं। मार्च, १९५७ के अन्त तक निगम के पास ९८४ अर्जियाँ आई थीं, जिनमें २ करोड़ ६२ लाख रुपए के मूल्य की लगभग ४,१०० मशीनों की माँग की गई थी। निगम ने अधिकांश अर्जियाँ मंजूर कर ली हैं। पिछले वर्ष १० लाख ९० हजार रुपए के मूल्य की मशीनें दी गईं। एक और योजना के अनुसार, सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्रों में कम आमदनीवाली औरतों को किस्तों पर सिलाई की मशीनें दी जाती हैं।

लघु उद्योगों के विकास के लिए और जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, उनमें ये भी हैं—बड़े कारखानों के सहायक के रूप में छोटे कारखानों की स्थापना तथा देश भर में लघु उद्योग बस्तियों की स्थापना। बम्बई, कलकत्ता और बंगलौर में मोटर गाड़ियों, साइकिलों और मशीनी औजारों के कई उत्पादकों ने यह मान लिया है कि वे पड़ोस में खुलने वाले सहायक छोटे कारखानों से निश्चित भाव पर पुर्जे आदि खरीदेंगे। इसके अलावा, कुछ अन्य बड़े उत्पादकों ने भी ठेके पर छोटे कारखानों से पुर्जे आदि खरीदना स्वीकार कर लिया है।

औद्योगिक बस्तियाँ

औद्योगिक बस्तियाँ बना कर लघु उद्योगों का विकास करने में कुछ देशों को बहुत सफलता प्राप्त हुई है। इससे शहरों की भीड़-भाड़ भी कम होती है। इसी से प्रेरणा ले कर भारत सरकार ने भी यह तरीका अपनाने का निश्चय किया है। जमीन, पानी, बिजली, रेल-लाइन आदि की सुविधा दे कर कई छोटे-छोटे कारखाने आस-पास खोलने का प्रोत्साहन दिया जाता है। यही औद्योगिक बस्ती कहलाती है। अब तक, विभिन्न राज्यों में २५ औद्योगिक बस्तियाँ बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। खास कर, दिल्ली और राजकोट में काम काफी आगे बढ़ चुका है और वहाँ जल्दी ही छोटे-छोटे कारखाने काम करना शुरू कर देंगे।

लघु उद्योगों को उदारतापूर्वक आर्थिक, टैकनीकल तथा संगठनात्मक सहायता देने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है और स्वयं लघु उद्योगों ने इन कार्यों में जो रुचि दिखाई है, उसे देख कर यह कहा जा सकता है कि छोटे उद्योगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत आधार पर जमाने और उनका विकास करने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे न केवल सर्वसाधारण के इस्तेमाल की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ज्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हजारों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा और देश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा।

★

विस्तार की परिभाषा

जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव

: ५ :

विस्तार कार्यकर्त्ता व उसके गुण

हमारा देश कृषि प्रधान है। किसान बहुधन्धी व्यक्ति है। अतः जो व्यक्ति सचमुच किसान की सेवा करना चाहता है, उसे भी बहुधन्धी होना चाहिए। कृषक नेतृत्व चाहता है, पर ऐसे व्यक्ति की नकल नहीं करना चाहता जिसकी जानकारी उससे कम हो और जो खुद तो कोई काम करे न, पर दूसरों से करने के लिए कहता रहे। अतः उसे किसान का मित्र और सहायक बनना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका ज्ञान किसान से अधिक हो। बहुधन्धी ग्रामसेवक इसी आवश्यकता की उपज थी।

विस्तार कार्यकर्त्ता के गुण

विस्तार कार्य की सफलता कर्त्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी और कार्य कुशल बहुधन्धी कार्यकर्त्ताओं पर निर्भर है, यही इसकी आधार शिला है। उसमें विशेष रूप से अपने कार्य के प्रति निष्ठा तथा आत्म विश्वास होना चाहिए क्योंकि यह कार्य केवल एक वैभागिक कार्य ही नहीं, वरन् जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का ढंग है। इस साधन में विश्वास करनेवाले का ही योजना में स्थान है।

कार्यकर्त्ताओं को विकास-योजनाओं को किसानों के घरों और खेतों तक पहुँचाना है। उन्हें ग्राम जीवन से सम्बन्धित सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह ग्रामवासियों की शंकाओं का समाधान करके अपने विचार उनके सामने रख सकें। वह गाँव में रह कर अपने आचरण द्वारा गाँववालों को प्रभावित कर सकें तथा ऐसे घुल-मिल जाएँ कि ग्रामवासी उन्हें सलाहकार, हितैषी और मित्र समझने लगें। विस्तार कार्यकर्त्ता गाँववालों को उनकी आवश्कताओं का ज्ञान कराएँ तथा उन्हीं के द्वारा योजना बना कर उसे उनके सहयोग से कार्यान्वित करें जिससे कि योजना को पूरा करने में अधिकाधिक सहयोग मिल सके।

विस्तार के सिद्धान्तों द्वारा समाज में विकसित जीवन व्यतीत करने की नई आकांक्षा जगाने में अगर कार्यकर्त्ता को सफलता प्राप्त हो गई तो अपने क्षेत्र में उसे पूरी सफलता मिल सकती है। गान्धी जी के कथनानुसार **"ग्रामवासियों में अपना विश्वास जमाने के कार्य में ग्रामसेवक की सफलता तथा असफलता पर ही विकास-कार्यक्रम का भविष्य निर्भर है। इसके लिए उसे अपने अन्दर कुछ आवश्यक गुणों को विकसित करना होगा।** गान्धी जी प्रत्येक ग्राम सेवक से यह आशा करते थे कि उनमें निम्नलिखित गुण हों—

१. एक आदर्श ग्राम सेवक को कोई भी कार्य दूसरों को बताने के पूर्व उसका स्वयं अभ्यास करना चाहिए।

२. जिन ग्रामों में वह कार्य करता हो, वहाँ के प्रत्येक निवासी से उसे परिचित होना चाहिए।

३. जहाँ तक हो सके, उसे ग्रामीणों की सेवा करनी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि सारा कार्य वह खुद करे, बल्कि उसे ग्रामीणों को अपनी मदद आप करने का ढंग बता देना चाहिए।

४. उसे ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता की चीजें प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिए और लोगों को विकास कार्य में सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए।

५. जितना अधिक सम्भव हो सके, उसे उतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना चाहिए और ग्रामवासियों को आदर्शवादी बना देना चाहिए।

६. गाँववालों में आपस में कुछ झगड़े हों, तो उसे किसी दल की तरफदारी में नहीं पड़ना चाहिए।

७. उसे गाँव में उन ऐश्वर्यों का विचार छोड़ कर जाना चाहिए जो शहरी जीवन में उपलब्ध हैं।

गान्धी जी ने अपने कार्यकर्त्ताओं के लिए जो आठ बातें कही वे ये हैं:—**अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शारीरिक परिश्रम करना, निडर होना, सब धर्मों का बराबर आदर, सबके लिए भाईचारे की भावना और शिक्षा देने के पूर्व अभ्यास करना।**

अतः ग्राम सेवक का कर्त्तव्य जन सहयोग, स्थानीय साधनों और आधुनिक उपायों द्वारा अपने क्षेत्र की बहुमुखी उन्नति करना तथा जनता जनार्दन की सच्चे रूप से सेवा करना तथा उनका मित्र, पथप्रदर्शक एवं साथी बनना है।

: ६ :

नवयुवकों द्वारा विस्तार कार्य

शिक्षा का जीवन से गहरा सम्बन्ध है। स्कूल की चार दीवारी ही शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र स्थान नहीं है। स्कूल में अथवा उससे बाहर खेलते या काम करते हुए, घर में या खेत में सीखने के लिए सदैव अवसर मिलते रहते हैं। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु वही सब कुछ नहीं है। सच्चा विस्तार यही है कि हम अपनी समस्याओं को समझ कर उनको हल करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

नवयुवक हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता हैं और इनके अन्दर जो शक्ति छिपी हुई है, उसको विकसित करना है ताकि उनमें आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता उत्पन्न हो। नवयुवकों द्वारा विस्तार कार्य इसी योजना का आरम्भ है। इसकी प्रेरणा अमेरिका के "फोर एच० क्लब" और "फ्यूचर फारमर्स आफ अमेरिका," इंगलैण्ड के "यंग फारमर्स क्लब" तथा डेनमार्क के "फोक स्कूल" से मिली है।

उद्देश्य

ग्राम युवक संगठन बना कर हम नवयुवकों को नई कार्य-विधि और कौशल सिखा सकते हैं। इस तरह वे हमारे विस्तार कार्य के सबसे अच्छे माध्यम बन जाएँगे और भविष्य में सामूहिक जीवन के अग्रदूत होंगे और विस्तार कार्य तभी सफल हो सकेगा।

पुराने लोग रूढ़िवादी होते हैं और उनके ये संस्कार दूर करने में अधिक समय लगेगा। इसलिए हम इन बच्चों द्वारा अपनी योजना आरम्भ करते हैं ताकि जब वे बड़े हों और पूर्ण किसान बनें तब वे इन सीखे हुए उन्नतिशील तरीकों को भली प्रकार काम में ला सकें।

योजना

"करके सीखना और सीखते हुए कमाना" के लक्ष्य को ले कर प्रत्येक युवक सदस्य अपनी रुचि और अवसर के अनुकूल विभिन्न योजनाएँ बनाए, उन्हें पूरा करे तथा उनके द्वारा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करे। अपने इस काम में उन्हें विस्तार कार्यकर्त्ताओं की सहायता और निर्देश मिलना चाहिए। ऐसा करते समय वे कार्यक्रम और उसकी समस्याओं पर विचार करें और उनके निराकरण का उपाय ढूँढ़ें। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि एक बार जो उन्हें समझा दिया तथा जिसको वह प्रयोग में ला कर देख चुके हों, उसे दोबारा वे उसी ढंग से करें।

युवक योजना का लेखा-जोखा भी रखेगा ताकि उसको अपनी योजना का आर्थिक लाभ या हानि ज्ञात हो सके। दूसरे शब्दों में योजना का अर्थ है कि युवक किसी एक कार्य को (कृषि, पशु-पालन या उद्योग सम्बन्धी) प्रयोग की तरह लें और उसे वह हर प्रकार के नए और उन्नत तरीकों से करें उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उसका लेखा रखें।

इन छोटी-छोटी योजनाओं को देने का यही तात्पर्य है कि युवक को कार्य विशेष में पूर्ण रूप से व्यावहारिक ज्ञान हो जाए तथा उसके यह भी ज्ञात हो जाए कि इसको करने का वैज्ञानिक एवं उन्नतिशील ढंग क्या है। उसके अन्दर अच्छी बात जानने के लिए एक धुन पैदा हो जाए, तभी "उत्तम को सर्वोत्तम" बनाने का ध्येय पूरा हो सकेगा।

विस्तार

हमारा विस्तार कार्य सफल तभी ज्ञात होगा जब कोई युवक समस्या ले कर आपके पास दौड़ा आए और उस समस्या को सुलझाने की उसके अन्दर प्रबल इच्छा हो। युवक उन्नत बीज से गेहूँ पैदा करे। इस प्रकार जब उसकी फसल तैयार होती है तो लोग उसे देख कर आश्चर्य करते हैं, उससे उसकी अच्छी फसल का रहस्य पूछते हैं और स्वयं भी उसी प्रकार खेती करते हैं। उनके इस छोटे पैमाने के प्रदर्शन से ही वहाँ के गाँववाले भी इन चीज़ों की खेती आरम्भ कर देते हैं और प्रौढ़ भी उसको अपना लेते हैं।

कार्यारम्भ

युवकों द्वारा विस्तार कार्य किस प्रकार किया जाए—

१. इसके लिए पहले एक कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जो या तो ऐसे स्थान में हो जहां विस्तार कार्यकर्त्ता स्वयं रहता हो या आस-पास का क्षेत्र हो।

२. गाँव के वयस्कों एवं प्रौढ़ों तथा युवकों से अनौपचारिक रूप से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

३. विस्तार कार्य में रुचि रखनेवाले लोगों का ठोस चुनाव करके एक दल स्थापित करना चाहिए।

४. दल के पदाधिकारी का चुनाव करना चाहिए तथा प्रारम्भिक बैठक करनी चाहिए।

५. शिक्षा, प्रशिक्षण शिविर, योजनाएँ बनाना व उनका लेखा-जोखा रखना तथा समाज सेवा कार्य की और उनकी रुचि फेरना।

गाँव में रहनेवाले १२-२० वर्ष का कोई युवक जो योजना

[शेष पृष्ठ ३० पर]

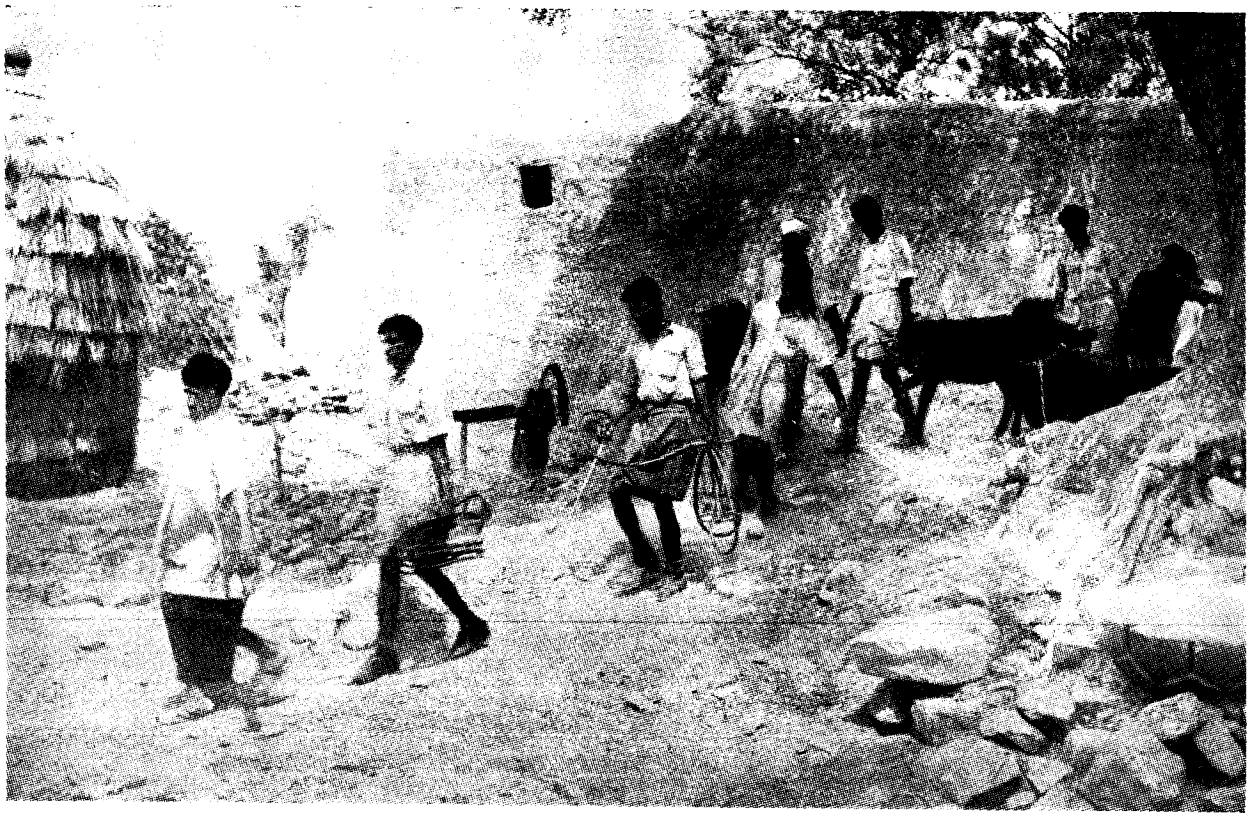

मलेरिया के विरुद्ध मोर्चा लगानेवाला एक दल

मलेरिया से लड़ाई

देश में मलेरिया निरोध के कार्य को शुरू हुए केवल चार वर्ष बीते हैं। फिर भी इसी अल्पकाल में मलेरिया के रोगियों की संख्या ७ करोड़ ५० लाख से घट कर २ करोड़ रह गई है। मलेरिया के विरुद्ध इस युद्ध का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय की मलेरिया संस्था कर रही है और अमरीकी शिल्पिक सहयोग मण्डल और राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दे रही हैं।

सैकड़ों वर्षों से हमारा देश इस दुष्ट रोग के चंगुल में है। सन् १९५२ में अनुमानतः २० करोड़ जनसंख्या मलेरिया के आक्रमण के दायरे में थी। इस रोग से प्रति वर्ष लगभग ८ लाख व्यक्ति मरते थे और इससे कहीं अधिक संख्या रोग-ग्रस्त होती थी। इस रोग का प्रसार देश भर में था, इसलिए इसके विरुद्ध देश-व्यापी मोर्चा लगाना पड़ा।

११ करोड़ जनों की रक्षा

मलेरिया रोकने के काम में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मार्च १९५६ के अन्त तक मलेरिया निरोध क्षेत्रों में घरों में कीट-नाशक दवा छिड़क कर लगभग ११ करोड़ २४ लाख ६० हजार की आबादी को इसके आक्रमण से बचाया गया। सन् १९५२ से १९५४ के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में १ करोड़ ९४ लाख की कमी हुई और सन् १९५४ से १९५६ के बीच इनकी संख्या में २ करोड़ १९ लाख की और कमी हुई। १९३६ में दिल्ली में १२.५३ प्रतिशत आबादी को मलेरिया होता था। मलेरिया निरोध कार्य के फलस्वरूप १९५५ में रोगियों की संख्या केवल ०.१२ प्रतिशत रह गई।

कनारा जिले में मलेरिया निरोध कार्यक्रम १९४६ में आरम्भ किया गया था। तब से १० वर्ष के भीतर १९५६ तक वहाँ बड़ी

हुई तिल्ली से पीड़ितों की संख्या ७२.२ प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई। इसी प्रकार मलाबार के वायनाड और नीलाम्बर तालुकों में भी १९४९ में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। वायनाड में तिल्ली के रोगियों की संख्या १९४९ के ३६ प्रतिशत से गिर कर १९५५ में ४ प्रतिशत और नीलाम्बर में २५.२ प्रतिशत से गिर कर २.५ प्रतिशत रह गई।

मलेरिया-निरोध कार्य का संगठन

अमेरिकन सहयोग मिशन और राज्यों के मलेरिया निरोध संगठनों से मिल कर भारत की मलेरिया संस्था ने १९५२ में देश भर के लिए मलेरिया निरोध कार्यक्रम बनाया। इसे स्वास्थ्य मन्त्रालय और योजना आयोग ने स्वीकार किया और इसकी व्यवस्था का काम मलेरिया संस्था के निर्देशक को सौंपा। इसमें हर १० लाख की आबादी के लिए एक मलेरिया निरोध टुकड़ी बनाई गई, जो वहाँ कीट-नाशक दवा छिड़कने और रोगियों को औषधि देने का काम करती है।

पहली पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में १६२ टुकड़ियाँ बनाई गईं। अब ३८ और बनाई गई हैं और इनकी संख्या २०० करने का विचार है, ताकि मलेरिया आक्रान्त पूरा क्षेत्र इनके अन्तर्गत आ जाए। अमरीकी सहयोग मिशन की सहायता से भारत सरकार कीट-नाशक दवाएँ मंगाती है और राज्य सरकारें कार्यक्रम चलाने का खर्च वहन करती हैं। हर टुकड़ी में प्रशिक्षित मलेरिया अधिकारी होता है। उसके साथ कम से कम ८ निरीक्षक और १५० दवा आदि छिड़कनेवाले कर्मचारी होते हैं। एक टुकड़ी पर पहले साल ४,८५,००० रुपए खर्च बैठता है, बाद में हर साल ३ लाख १५ हजार रुपए खर्च होता है।

११॥ करोड़ रुपए खर्च हुए

पहली योजना में मलेरिया निरोध कार्य पर ११करोड़ ५२लाख रुपए खर्च हुए। इसमें से अमेरिकन सहयोग मिशन ने ट्रक, जीप, डी० डी० टी० आदि के रूप में ७ करोड़ ६ लाख रुपए की और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने १५ लाख रुपए की डी० डी० टी० की सहायता दी। केन्द्रीय सरकार ने ४८ लाख रुपए और राज्य सरकारों ने ३ करोड़ ८० लाख रुपए खर्च किए। दूसरी योजना के लिए २७ करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें १३ करोड़ रुपए राज्य खर्च करेंगे और बाकी केन्द्रीय सरकार, जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है।

रोग का नाश

मलेरिया-निरोध कार्यक्रम का ध्येय क्या होना चाहिए—रोग का नियन्त्रण या उसे समूल नष्ट करना—यह प्रश्न भारत सरकार के सामने था। विश्व-स्वास्थ्य संघ की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का नवाँ सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इसमें मलेरिया

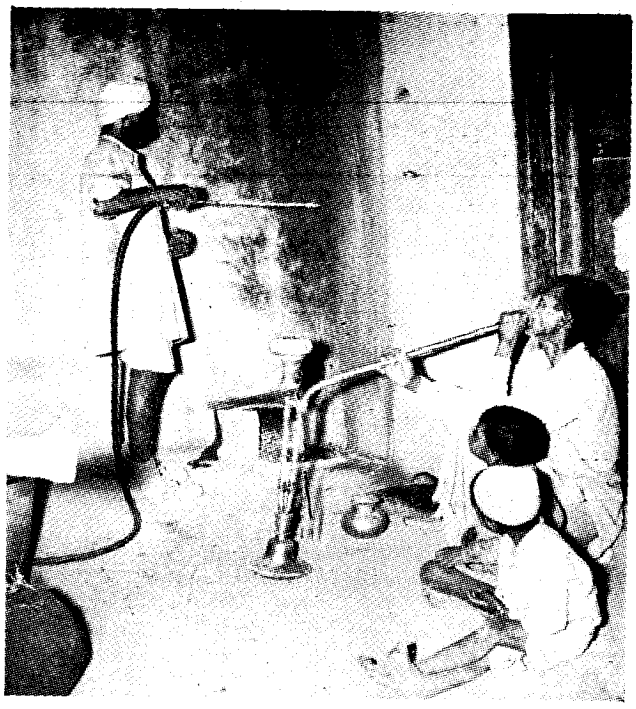

एक घर में डी० डी० टी० छिड़का जा रहा है

को समूल नष्ट करने का ध्येय ही स्वीकार किया गया।

मलेरिया संस्था

मलेरिया संस्था इस रोग और इसके रोकने के तरीकों के बारे में गवेषणा भी करती है और कर्मचारियों को मलेरिया निरोध कार्य की शिक्षा भी देती है। फिर सीखे हुए वे कर्मचारी मलेरिया

[शेष पृष्ठ ३० पर]

मलेरिया फैलाने वाला मच्छर

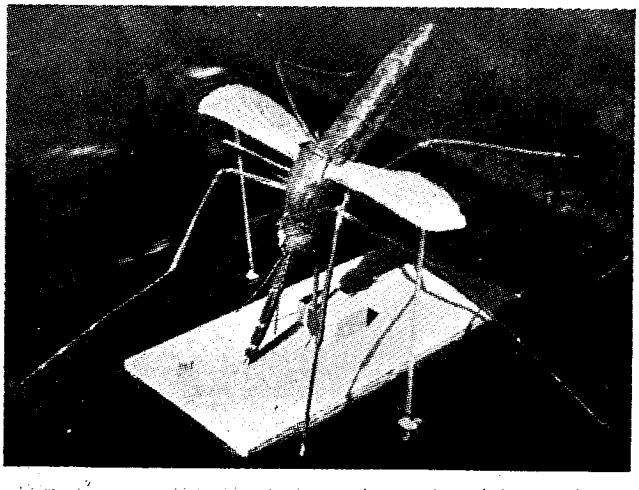

पौष्टिक भोजन

हमारे देशवासियों के भोजन के सम्बन्ध में राज्यों के गाँवों और शहरों में जो पड़ताल हुई है, उससे पता चलता है कि अधिकांश लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। अधिकतर लोगों को अन्न पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूध, माँस, अण्डा, फल, शाक आदि पौष्टिक पदार्थों की हमारे भोजन में कमी रहती है। बच्चों के आहार में अधिकतर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है।

पौष्टिक भोजन के अभाव का कारण मुख्यतः गरीबी है। अतः हमें सस्ते पौष्टिक आहार की खोज करनी है। गर्भिणी स्त्रियों और बालकों को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को बताने की भी जरूरत है। कुछ विशेष वर्गों के लोगों के अस्वस्थ रहने के क्या कारण हैं तथा उनके लिए उपयुक्त खुराक क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी खोज की जा रही है। खोज के आधार पर सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

पौष्टिक भोजन का अभाव दूर करने के लिए कुछ वर्षों से केन्द्र तथा राज्यों ने अनेक कार्य किए हैं। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को नाश्ता और दूध दिया जाता है। जच्चा-बच्चा केन्द्रों और अस्पतालों में गर्भवती स्त्रियों और बालकों को तथा स्कूलों में छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कोष की ओर से दूध बाँटा जाता है।

सत्रह राज्यों में स्कूलों में बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा है शेष राज्यों में भी यह प्रबन्ध हो रहा है। १९५४ में ३,२०० टन दूध चूर्ण बाँटा गया था, जबकि १९५६ में यह मात्रा बढ़ कर ५,२५० टन हो गई। सन १९५५ में अस्पतालों और जच्चा-बच्चा घरों में ३,८४,६०० स्त्रियों और बच्चों को तथा स्कूलों में ३५,३५,००० छात्रों को दूध बाँटा गया। इस काम के लिए सं० रा० बाल सहायता कोष अब और अधिक दूध चूर्ण दे रहा है।

बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तिरुवाँकुर-कोचीन तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की ओर से प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों को स्कूल में दूध, चने, फल आदि दिए जाते हैं। मद्रास नगरसभा शहर के इन स्कूली बच्चों को जो पुष्टिहीनता जन्य रोगों से पीड़ित हैं, पुष्टिकर भोजन देती है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में मिलों और कारखानों में भी जलपानघर खोले गए हैं जहाँ श्रमिकों को चाय और जलपान दिया जाता है।

अच्छी खुराक की कमी से बच्चों को सूखा, रक्तहीनता और खसरा आदि अनेक रोग हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कांगड़ा ज़िले तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में कहीं-कहीं घेघा रोग व्यापक रूप में पाया जाता है। इस रोग के नियन्त्रण के लिए इस क्षेत्र में आयोडीन मिश्रित नमक बाँटा जाता है और अन्य कार्रवाई की जाती है। पंजाब सरकार, भारतीय चिकित्सा-गवेषणा परिषद् तथा विश्व स्वास्थ्य संघ के सहयोग से काँगड़ा ज़िले में इस रोग के बारे में पड़ताल कराई जा रही है।

पुस्तिकाओं, रेडियो तथा प्रदर्शनियों के जरिए सरकार लोगों को बताती है कि पौष्टिक आहार क्या है और इसके क्या गुण हैं। "सन्तुलित भोजन," "बच्चों का भोजन" "पौष्टिक भोजन" शीर्षक छोटी पुस्तिकाएँ छापी गई हैं तथा अन्य पुस्तिकाएँ तैयार की जा रही हैं। खमीर या यीस्ट भी बड़ा पुष्टिकर होता है। लोग इसे खाना पसन्द करेंगे या नहीं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली की मजदूर-बस्तियों और छात्रावासों में इसे लोगों को खाने में दिया गया। मद्रास, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का प्रयोग किया। इससे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग अपने भोजन के साथ ½ औंस प्रतिदिन के हिसाब से खमीर ले सकते हैं। इसे बड़े मजे में दाल-रोटी के साथ खाया या मिलाया जा सकता है। जहाँ ऐसा किया गया है, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य सुधरा है।

मैसूर की केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला ने एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य तैयार किया गया है, जिसमें मूंगफली का आटा ७० प्रतिशत, बंगाल के चने का आटा ३० प्रतिशत और कुछ अंश विटामिन तथा खनिज होता है। बच्चों के लिए यह भोजन खास तौर पर लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस खाद्य के दो औंस (करीब एक छटाँक) पर केवल पाँच पैसा लागत आती है। इतना सस्ता होने पर भी इसमें प्रोटीन, विटामिन आदि सभी कुछ रहता है, जिसकी हम लोगों के भोजन में साधारणतः कमी रहती है।

"मील्स फार मिलियन्स एसोसिएशन आफ इण्डिया" संस्था सन् १९५५ से इस तरह के आहार के प्रचार का यत्न कर रही है। यह संस्था इस पदार्थ के बिस्कुट बनवा कर स्कूलों में बाँटती है। प्रधान मन्त्री ने अपने कोष से बाढ़ तथा अकाल पीड़ित क्षेत्रों के बच्चों को ऐसे बिस्कुट बँटवाने के लिए एक लाख रुपए इस संस्था को दिए हैं। कुछ कारखानों के जलपानघरों में भी यह खाद्य-पदार्थ मजदूरों को दिया जाता। दक्षिण रेलवे भी अपने जल-पानघरों में इसका प्रयोग कर रही है। पौष्टिक भोजन की खोज और प्रचार का कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा गवेषणा-परिषद की पौष्टिक भोजन सलाहकार समिति बनाती है। कुनूर की पौष्टिक भोजन-अनुसन्धानशाला में इस सम्बन्ध में कई अनुसन्धान चल रहे हैं। यह संस्था दक्षिण भारत में पुष्टिहीनता से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पड़ताल करती है।

पुष्टिकर भोजन की समस्या बहुत बड़ी और व्यापक है और जो कुछ इस दिशा में हो रहा है, उससे बहुत अधिक करने की जरूरत है।

प्रशिक्षण की व्यवस्था

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के और अधिक खण्ड खोलने की जो व्यवस्था रखी गई है, उसके कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता भी बढ़ी है।

दूसरी योजना के अन्त तक देश के सब गाँव सामुदायिक विकास या राष्ट्रीय विस्तार सेवा के खण्डों में शामिल हो चुके होंगे। इन सबके लिए ५ हज़ार खण्ड-विकास अधिकारियों तथा कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सहकार और लघु-उद्योगों सम्बन्धी इतने ही विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इसके अलावा १० हज़ार समाज शिक्षा संगठकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। सामुदायिक विकास-कार्य चलाने के लिए ५० हज़ार ग्राम सेवक चाहिएँ तथा १८-१८ सौ डाक्टर, कम्पाउण्डर, सफाई-दरोगा और स्त्री-स्वास्थ्य-निरीक्षक भी चाहिएँ।

इस तरह सामुदायिक विकास-कार्य के संचालन के लिए हज़ारों आदमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का महान कार्य सामुदायिक विकास मन्त्रालय को करना है।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम सन् १९५२ में शुरू हुआ था। प्रत्येक विकास खण्ड में भरपूर विकास-कार्य के लिए कृषि, पशुपालन, सहकार, ग्राम-इंजीनियरिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लघु-उद्योगों का काम जाननेवाला एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया गया। इन सबके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक-एक खण्ड-विकास अधिकारी रखा गया, जिसका काम खण्ड में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था करना है। यह अनुभव किया गया कि खण्ड-विकास अधिकारी खण्ड में आनेवाले गाँवों में सामाजिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकेगा, इसलिए प्रत्येक खण्ड में एक-एक समाज-शिक्षा संगठक भी रखा गया। बाद में समाज-शिक्षा संगठकों की संख्या दो-दो कर दी गई, एक संगठक स्त्रियों के लिए और एक पुरुषों के लिए।

प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

कर्मचारियों को काम सिखाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जिस रफ्तार से सामुदायिक विकास का काम बढ़ा, उस रफ्तार से काम सीखे हुए कर्मचारियों की संख्या न बढ़ सकी। उदाहरण के लिए, ३० जून, १९५७ तक कुल १,४५७ खण्ड-विकास अधिकारियों को काम सिखाया जा सका और १०४ उस समय काम सीख रहे थे। स्पष्ट है कि इस समय देश के कुल १,८१४ खण्डों के लिए इतने खण्ड-विकास अधिकारी काफी नहीं हैं। इसी तरह ३० जून, १९५७ तक २,७७१ समाज-शिक्षा संगठक काम सिखा कर तैयार किए जा सके हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं।

अधिक संख्या में खंड-विकास अधिकारियों को काम सिखाने की व्यवस्था करने के लिए लखनऊ और उड़ीसा में दो नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। वर्तमान तीन प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी, राँची और हिमायत सागर (हैदराबाद) में हैं। नए केन्द्र जल्दी ही काम करने लग जाएँगे। इसके अलावा, वर्तमान तीनों केन्द्रों में भी शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

समाज-शिक्षा संगठकों को काम सिखाने के केन्द्रों की संख्या भी ९ से बढ़ा कर १२ करने का निश्चय किया गया है।

देखभाल का काम

जब तक समाज-विकास का कार्य बहुत अधिक नहीं बढ़ा था, तब तक प्रत्येक खण्ड के काम की देखभाल करना और मार्ग-निर्देशन करना सरल था। लेकिन अब कार्यक्रम का बड़ी तेज़ी से विस्तार हो जाने से यह सम्भव नहीं रहा। इस कमी को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि खण्डों में काम करनेवाले कर्मचारी अपना काम बहुत अच्छी तरह से सीखे हुए हों और अपने-अपने क्षेत्र में ठीक से कार्य कर सकें। कर्मचारियों को बीच-बीच में प्रशिक्षण द्वारा और अधिक कुशल बनाने की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है।

पिछले महीने बम्बई में खण्ड-विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समाज शिक्षा संगठकों के प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्याध्यापकों और निदेशकों का चौथा वार्षिक सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी इन सब समस्याओं पर विचार किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करने, पाठ्यक्रम में संशोधन करने और कर्मचारियों के लिए पुनरभ्यास की व्यवस्था करने के बारे में सम्मेलन कई सुझाव दिए हैं। यह कहा गया कि शिक्षार्थियों को चुनते समय यह देख लेना चाहिए कि विकास-कार्यक्रम में उनकी रुचि है या नहीं। इसके अलावा, वे शरीर से भी स्वस्थ होने चाहिएँ, क्योंकि गाँवों में काफी मेहनत के काम करने पड़ते हैं।

इस सम्मेलन ने एक उपसमिति बनाई, जिसमें विकास-अधिकारी-प्रशिक्षण-केन्द्रों के मुख्याध्यापक और सामुदायिक विकास मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं। यह उपसमिति पाठ्यक्रमों में

संशोधन करेगी और दूसरी योजना में खण्ड-विकास अधिकारियों की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाएगी। इसके अलावा, कई प्रश्नों पर भी यह समिति विचार करेगी।

इस सम्मेलन में खण्ड-विकास अधिकारी तथा समाज शिक्षा संगठक के कर्त्तव्यों को और स्पष्ट रूप से निश्चित करने का प्रयत्न किया गया। कहा गया कि समाज शिक्षा संगठकों को ग्राम नेताओं के शिविर और ग्राम अध्यापकों के शिविर आयोजित करने चाहिएँ, गाँवों में श्रम-दान आन्दोलन चलाना चाहिए, सूचना तथा सामुदायिक केन्द्र और वाचनालय, पुस्तकालय, मनोरंजन क्लब, युवक-क्लब आदि खोलने चाहिएँ। इन सबके माध्यम से समाज शिक्षा संगठकों को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का सन्देश जन-जन तक पहुँचाना चाहिए और उसके महत्व से उन्हें परिचित कराना चाहिए।

★

मलेरिया से लड़ाई—[पृष्ठ २७ का शेषांश]

आक्रान्त क्षेत्र में जा कर काम करते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया, ब्रिटेन और अमेरिका से भी यहाँ शिक्षा लेने के लिए लोग आते हैं। यह संस्था अब तक १,४१२ चिकित्सकों, २४८ इंजीनियरों और ६२६ निरीक्षकों को मलेरिया-विज्ञान, १० चिकित्सकों को कीट-विज्ञान और ५७ चिकित्सकों तथा १०६ निरीक्षकों को फीलरोग विज्ञान की शिक्षा दे चुकी है।

पूर्व की प्रमुख संस्था

पूर्वी देशों में मलेरिया सम्बन्धी गवेषणा और प्रशिक्षण में भारत की मलेरिया संस्था का प्रमुख स्थान है। अमेरिका की ल्यूसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के उष्ण कटिबन्धी चिकित्सा विभाग के प्रधान डा० विलियम फ्रे का कथन है कि 'दिल्ली की मलेरिया संस्था संसार की प्रमुख संस्थाओं में है। वहाँ गवेषणा की उत्तम व्यवस्था और अत्यन्त प्रतिभाशाली कार्यकर्ता हैं।'

इस प्रकार की प्रशंसा अनेक विश्वप्रसिद्ध विद्वानों ने की है। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसका ठोस काम है। इसने देश से मलेरिया की जड़ खोदने के लिए वैज्ञानिक हथियार तैयार कर दिया है।

★

विस्तार की परिभाषा—[पृष्ठ २५ का शेषांश]

में भाग लेना चाहे वह निम्नलिखित व्रत ले कर दल का सदस्य बन सकता है—

"मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक सच्चा, स्वस्थ, साहसी, सुयोग्य, और सदाचारी मनुष्य बनूँगा। समाज सेवा, स्वालम्बन और सहकारिता मेरे जीवन के आधार होंगे और संयम, शिक्षा और संगठन द्वारा जन-सेवा के योग्य बनूँगा। मैं अपनी एक योजना लूँगा और गाँव के चतुर्मुखी विकास में पूर्ण सहयोग दूँगा।"

युवक नेता

लेकिन आपने जो कार्य आरम्भ किया, हो सकता है कि उसमें कुछ समय बाद या तो आपके हट जाने से या अन्य कारणों से शिथिलता आ जाए। अतः उसे ऐसे ढंग से चलाना है कि आपकी अनुपस्थिति में भी सुचारु रूप से चल सके। यह तभी हो सकता है जब आप वहीं के एक या दो युवकों को नेता बना सकें। आपको ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिन्हें बच्चे बहुत चाहते हों, जिसकी आज्ञा मानते हों और जो गाँव के मामले में रुचि लेता हो। जब विस्तार कार्यकर्त्ता को उपयुक्त नेता मिल जाए, तो धीरे-धीरे वह अपने को उनसे विमुख करने का प्रयत्न करे और अवसर दे कि युवक नेता आपकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम को स्वयं चला सके। सारे कार्यक्रम की चिरस्थायी सफलता और उसका मूल्य उन लोगों को निरन्तर बनी रहनेवाली दिलचस्पी और समर्थन पर निर्भर है जो जागृत और समझदार, स्थानीय स्वयंसेवक नेताओं के निर्देशन में काम करते हैं। ग्राम युवक संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि स्थानीय स्वयंसेवक नेता स्वेच्छा से कितना सहयोग देते हैं। युवकों द्वारा विस्तार कार्य का दूसरा उद्देश्य स्थानीय नेता तैयार करना है क्योंकि यही नवयुवक कुछ वर्षों में देश का कार्य भार संभालेंगे।

विस्तार कार्य निस्सन्देह एक भागीरथ प्रयास है और सर्वथा अनुकरणीय है। परन्तु इसके उद्देश्य की पूर्त्ति तभी हो सकती है जब प्रभावशाली सार्वजनिक कार्यकर्त्ता इस कठिन कार्य में योग देने के लिए अग्रसर हों।

प्रगति के पथ पर

२२० नए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

२ अक्तूबर १९५७ से २२० नए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम शुरू हो जाएगा। खण्डों का वितरण इस प्रकार किया गया है—आन्ध्र प्रदेश ३५, असम ७, बिहार ३५, जम्मू तथा काश्मीर १२, मद्रास २३, उड़ीसा २०, मैसूर १८, पंजाब १२, मध्य प्रदेश १५, राजस्थान १४, केरल १०, पं० बंगाल १५, हिमाचल प्रदेश २, दिल्ली १ तथा त्रिपुरा १। बम्बई को नए खण्ड अलाट करने पर विचार किया जा रहा है।

१ अप्रैल १९५७ को ३०० खण्डों का वितरण किया गया था और उस समय ६५ खण्ड उत्तर प्रदेश को अलाट किए गए थे। २२० खण्डों का यह वितरण १९५७-५८ में वितरण होनेवाले खण्डों की दूसरी किस्त है।

इन २२० खण्डों पर आरम्भिक कार्य तुरन्त शुरू कर दिया जाएगा और प्रत्येक खण्ड पर अधिक से अधिक १०,००० रुपए खर्च होगा। राज्य सरकारों को नए क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्य आरम्भ करने से पहले यह देख लेना होगा कि वर्तमान सभी खण्डों में पूर्णतः प्रशिक्षित कर्मचारी काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के चौथाई भाग को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया है। दूसरी योजना के पहले वर्ष में ८ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में तथा ४ और सामुदायिक विकास खण्डों में कार्य आरम्भ हुआ। १९५६-५७ में इन सब पर और पहली योजना के बचे हुए खण्डों पर कुल ३०.२ लाख रुपया व्यय हुआ—सामुदायिक विकास खण्डों पर २४.४ लाख रुपए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर ५.८ लाख रुपए।

ग्राम नेताओं को काम सिखाने की योजना

भारत सरकार ने अधिकाधिक शिविर खोल कर ग्राम नेताओं को काम सिखाने की एक योजना का प्रारूप राज्य सरकारों के पास भेजा है। हर ग्राम सेवक के क्षेत्र में २५० ग्राम नेताओं को काम सिखाया जाएगा और इस प्रकार वर्तमान १,८०० खण्डों में कुल ४५,००,००० ग्राम नेता तैयार हो सकेंगे। खण्डों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ ग्राम नेताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हर ग्राम शिविर तीन-तीन दिन का होगा।

देहातों में पानी की व्यवस्था

राष्ट्रीय पानी एवं सफाई योजना के अन्तर्गत ३१ जुलाई १९५७ तक पंजाब के ६ जिलों में १४ योजनाएँ शुरू की गई हैं। एक होशियारपुर में, जिस पर ९,९३,०२१ रुपए खर्च किए गए, तीन कांगड़ा में जिन पर २,४६,५८४ रुपए खर्च किए

गए; एक फिरोजपुर में जिस पर १२,०४४ रुपए खर्च किए गए; एक संगरूर में, जिस पर ३४,५६६ रुपए खर्च किए गए; ३ भटिंडा में, जिन पर ३,२६,५६२ रुपए खर्च हुए; और ५ पटियाला में जिन पर १,७३,६४६ रुपए खर्च किए गए।

दूसरी योजना में ४,३२८ बीज फारम

दूसरी योजना की अवधि में बीज के ४,३२८ फारम खोले जाएँगे—१६५६-५७ में ४८५, १६५७-५८ में १,४१६, १६५८-५६ में २,३६३ और १६५६-६० में ६४। प्रत्येक फारम २५ एकड़ का होगा और उसमें एक बीज गोदाम भी रहेगा। इस प्रकार १६५६-६० तक २१ करोड़ ५० लाख एकड़ खेती के लिए बीज दिया जाने लगेगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और वितरण-केन्द्रों में कृषि-अधिकारी की देखरेख में बीज बढ़ाने के लिए रजिस्ट्री शुदा किसानों को भी बीज दिए जाएँगे। बीज फारम देश भर में विकास-खण्डों में आरम्भ किए जाएँगे। अनुमान है कि इससे गेहूँ, चना, धान, कपास, दालों, ज्वार और बाजरा आदि का उत्पादन १० से १५ प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

भारत सरकार इस योजना के लिए १६५६-५७ से १६५६-६० तक ११ करोड़ ५० लाख ५० हजार रुपए देगी। ५ करोड़ ५३ लाख १२ हजार रुपए ऋण और ५ करोड़ ६७ लाख ३८ हजार रुपए सहायता के रूप में।

रेशम के कीड़े पालने का प्रशिक्षण और गवेषणा

रेशम के कीड़े पालने की शिक्षा और गवेषणा की राज्य सरकारों की योजनाओं को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने २ लाख रुपए स्वीकार किए हैं। मैसूर की एक योजना के अनुसार वहाँ एक स्कूल खोला जाएगा, जिसमें रेशम के कीड़े पालना सिखाया जाएगा। असम और आन्ध्र प्रदेश के २-२ स्कूलों और मद्रास के सलेम जिले के बोर्ड के स्कूलों में रेशम के कीड़े पालने की शिक्षा दी जाएगी। असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ छात्रों और अध्यापकों को इस काम की विशेष शिक्षा दी जाएगी। इन राज्यों की सरकारों ने इस शिक्षा के लिए ८६,००० रुपए मंजूर किए हैं।

कीड़े पालने, रेशम कातने आदि की उन्नत विधियाँ निकालने और दिखाने के लिए भी धन की सहायता दी जाएगी। बिहार के उस क्षेत्र में, जहाँ टसर पैदा होती है, कीड़े पाल कर दिखाने के २० केन्द्र आगे भी काम करते रहेंगे। असम में रेशम लपेटना सिखानेवाली एक चलती-फिरती टुकड़ी बनाई जाएगी। उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसे ही काम किए जाएँगे। इन योजनाओं के लिए ८५,००० रुपए रखे गए हैं। उड़ीसा, मैसूर और उत्तर प्रदेश को रेशम के कीड़े पालने के बारे में गवेषणा के लिए ३०,००० रुपए देना स्वीकार किया गया है।

रेशम उद्योग के विकास के लिए २० लाख रुपए

केन्द्रीय सरकार ने बढ़िया किस्म का रेशम तैयार करने और उत्पादन की लागत घटाने की अनेक योजनाएँ स्वीकार की हैं। इन योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों को २०.५ लाख रुपए दिए गए हैं।

कनकपुरा में रेशम लपेटने के सरकारी कारखाने को आधुनिक बनाने के लिए मैसूर राज्य को ६८,७५० रुपए का अनुदान दिया गया है और इतनी ही रकम ऋण के रूप में दी गई है। वर्तमान चखों को बदलने के लिए १३ लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें से आधी रकम अनुदान के रूप में और आधी ऋण के रूप में दी गई है। रेशम को ठीक-ठीक करने और उसका परीक्षण करने के केन्द्र के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है।

बिकनूर (आन्ध्र) में एक कृमिकोश फारम की स्थापना के लिए अनुदान दिया गया है। होसर (मद्रास) में एक अण्डा उत्पादन केन्द्र खोला जाएगा और राज्य में रेशम के कीड़े पालने के धन्धे का विस्तार किया जाएगा। केरल में अम्बालावयल में रेशम के कीड़े पालने का फारम स्थापित किया जा रहा है। टसर रेशम उद्योग के विकास के लिए बिहार को २ लाख रुपए की सहायता दी गई है। पश्चिम बंगाल को मालदा में रेशम लपेटने का कारखाना खोलने के लिए पिछले वर्ष १० लाख रुपए दिए गए थे। यह राशि चालू वर्ष में खर्च की जाएगी। खाद और सिंचाई के लिए पिछले वर्ष ५० हजार रुपए का ऋण दिया गया था। यह धन भी चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाएगा। रेशम-फारमों और शहतूत पौधा क्षेत्रों के विस्तार के लिए असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी वित्तीय सहायता दी गई।

★

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २.५० रुपये : एक प्रति २५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

वार्षिक मूल्य २.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली-८

हमारे हिन्दी प्रकाशन

	मूल्य	डाक व्यय		मूल्य	डाक व्यय
आँसू अब मुस्कान बने	०·१०	०·०५	समाज और संस्कृति	०·५०	०·१०
राष्ट्र के संचार साधन	०·१०	०·०५	नौवाँ वर्ष	१·५०	०·३५
योजनाओं से समाजवाद की ओर	०·१०	०·०५	छठा साल	१·५०	०·३५
नई समाज-व्यवस्था की ओर	०·१०	०·०५	तीसरा साल	१·५०	०·३५
अन्न और खेती	०·१०	०·०५	हमारा झंडा	०·५०	०·१०
उद्योग-धन्धों का विस्तार	०·१०	०·०५	वैदिक साहित्य	०·३५	०·१०
तुलसीदास : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०	कबीर : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०
सामाजिक मनोविज्ञान	०·५०	०·२०	रेडियो विकास योजना	०·३५	०·१०
हिन्दी का भावी रूप	०·३५	०·१०	प्रयाग दर्शन	०·२५	०·१०
भारत १९५६	४·५०	१·००	भारत की कहानी	०·७५	०·२०
भारत १९५४	७·५०	१·३५	एशिया अफ्रीका सम्मेलन	०·२५	०·१०
भारत की एकता का निर्माण	५·००	१·३५	आदर्श विद्यार्थी बापू	०·३५	०·१०
स्वाधीनता और उसके बाद	५·००	१·३५	यह बनारस है	०·२५	०·१०
शान्ति तथा सद्भावना की ओर	०·५०	०·१०	जातक कथाएँ	०·७५	०·२५
जवाहरलाल नेहरू के भाषण			सरल पंचतन्त्र भाग १	०·७५	०·२०
भाग ६	०·०५	०·०५	भाग २, ३, ४ तथा ५ प्रत्येक	०·३५	०·१०
भाग ७ व ८ प्रत्येक	०·१०	०·०५	हमारे नए सिक्के	०·२५	०·०५
तपेदिक के रोगियों की देख-भाल	०·३५	०·१२		(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)	

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मगाने पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।
रेखांकित पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्त या सीधे लिखें—

बिज़नेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, पो० बा० २०११,

दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8

Regd. NO. D .28